

# विवरणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ
1	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	1 से 6
2	आवेदन पत्र	7 से 18
3	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संभावित प्रश्न-उत्तर	19 से 22
4	परियोजना चयन (उदाहरणात्मक परियोजना परिचय)	23 से 54
5	उद्यमिता विकास कार्यक्रम	55 से 61
6	CGT -MSE Schem	62 से 72
7	FAQ (CGT-MSE)	73 से 84
8	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन	85 से

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा युवा पंचायत में की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में युवाओं को स्वरोजगार हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से युवा स्वरोजगार योजना दिनांक 01.04.2013 से आरंभ की जा रही है। योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता तथा ब्याज अनुदान की सुविधा दी जायेगी। उद्योग एवं सेवा उद्यमों के लिए सीजीटी-एमएसई (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राइजेस) योजनांतर्गत देय गारंटी शुल्क की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। योजनांतर्गत आय सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

2. योजना का क्रियान्वयन :-

योजना के क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा। योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के माध्यम से किया जायेगा।

वर्तमान में अन्य विभागों द्वारा भी विभिन्न हितग्राही मूलक स्वरोजगार योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु भिन्न-भिन्न अर्हताएं (आयु, शैक्षणिक योग्यता, आय-सीमा आदि) निर्धारित हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को दी जाने वाली सहायता, अनुदान आदि में भी भिन्नताएँ हैं। कुछ योजनाएं पूर्णतः राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित हैं, कुछ योजनाएं पूर्णतः केन्द्र पोषित हैं, जबकि कुछ योजनाओं में राज्य शासन एवं केन्द्र शासन दोनों की भागीदारी है। प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अर्हताओं के अनुसार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता रहेगा। मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क का भुगतान तथा ब्याज अनुदान जैसी विशिष्ट सुविधाएं दी जा रही है, अतः प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत ऐसे हितग्राही जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता रखते हैं, उन्हें वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त इस योजना

के तहत भी सुविधाएं दी जाएगी । इस प्रकार वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं इस योजना में देय सुविधा में अंतर की राशि (यदि कोई हो) आवेदक को अतिरिक्त रूप से प्राप्त होगी।

3. पात्रता :-

- 3.1 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 3.2 दसवीं कक्षा उत्तीर्ण।
- 3.3 आवेदन दिनांक को आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो।
- 3.4 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/निःशक्तजन उद्यमी हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।
- 3.5 ऋण गारंटी निधि योजना (CGT MSE) अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा केवल उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिये देय होगी, व्यवसाय क्षेत्र के लिये नहीं।
- 3.6 आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता/अशोधी (defaulter) नहीं होना चाहिए।
- 3.7 यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत पूर्व से सहायता प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।
- 3.8 योजनांतर्गत सहायता के लिये व्यक्ति सिर्फ एक उद्योग/सेवा/व्यवसाय हेतु ही पात्र होगा।

4. प्राथमिकता :-

- 4.1 आई.टी.आई/डिप्लोमा/इंजीनियरिंग/अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त माड्यूलर एम्पलायबल स्किल्स (MES) प्रमाण-पत्र।
- 4.2 गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राही।
- 4.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/निःशक्तजन।
- 4.4 उद्यमिता विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित हितग्राही।

5. वित्तीय सहायता :-

- 5-1 रुपये 50 हजार तक की परियोजना लागत की स्थिति में निम्नानुसार सहायता देय होगी :-

- 5.1.1 परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता (सिर्फ एक बार देय) – 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 10 हजार)
- 5.1.2 परियोजना लागत पर ब्याज अनुदान – 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक (2000 रूपये अधिकतम प्रतिवर्ष)
- 5.1.3 गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत की दर से (एक बार देय) – अधिकतम 500 रूपये
- 5.1.4 गारंटी सेवा शुल्क 0.5 प्रतिशत की दर से (4 वर्ष हेतु) –अधिकतम 1000 रूपये
- 5-2 रूपये 50 हजार से रूपये 25 लाख तक की स्थिति में निम्नानुसार सहायता देय होगी :-
- 5.2.1 पूंजीगत लागत तथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान – 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक (पूंजीगत लागत पर 50 हजार रूपये अधिकतम प्रतिवर्ष तथा कार्यशील पूंजी पर 25 हजार रूपये अधिकतम प्रतिवर्ष) (अधिकतम कुल रूपये 75 हजार प्रतिवर्ष)
- 5.2.2 गारंटी शुल्क (एक बार देय) – 1 से 1.5 प्रतिशत– अधिकतम 37,500 रूपये
- 5.2.3 गारंटी सेवा शुल्क (4 वर्ष हेतु) – 0.5 से 0.75 प्रतिशत–अधिकतम 75,000 रूपये
6. आवेदन प्रक्रिया :-
- 6.1 आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र /जनपद पंचायत में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, आवेदन पत्र निःशुल्क रहेगा।
- 6.2 सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे। अपूर्ण आवेदन पूर्ण करने हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र /जनपद पंचायत द्वारा आवेदक को सूचित किया जायेगा।
- 6.3 आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तावित गतिविधि की प्रोजेक्ट रिपोर्ट (परियोजना प्रतिवर्ष) संलग्न की जायेगी।
7. आवेदन पत्रों का निराकरण :-
- 7.1 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र /जनपद पंचायत द्वारा योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन

पत्र तथा परियोजना प्रतिवेदन स्वरोजगार योजनांतर्गत गठित टास्कफोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

- 7.2 अनुमोदन उपरांत संबंधित बैंकों को अनुशंसा के साथ प्रकरण अग्रेषित किये जायेंगे।
- 7.3 उद्योग एवं सेवा उद्यमों में गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना के माध्यम से दी जा रही है अतः बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी (collateral security) की मांग आवेदक से नहीं की जायेगी।
- 7.4 बैंक द्वारा 30 दिवस के अंदर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा।
- 7.5 30 दिवस में बैंक से प्रकरण के निराकरण संबंधी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर, जिला स्तर पर गठित समीक्षा समिति के समक्ष लंबित प्रकरण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जावेगी।

8. जिला स्तरीय समीक्षा समिति :-

- 8.1 योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति सतत समीक्षा करेगी।
- 8.2 समिति लंबित प्रकरणों, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय जो समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे, की समीक्षा करेगी।
- 8.3 कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समीक्षा समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :-

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
3.	तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि	सदस्य
4.	सेडमेप/सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	सदस्य
6.	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
7.	जिला रोजगार अधिकारी	सदस्य
8.	आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक कालेज के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र	सदस्य-सचिव

टीप:-आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे।

9. प्रशिक्षण :-

9.1 योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात उद्यमी को 3 से 10 दिवस का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा।

9.2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित हितग्राही को इस योजना अंतर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

10. ब्याज की दर एवं ऋण अदायगी :-

10.1 उद्यमी से बैंक द्वारा ब्याज सामान्य दर से लिया जायेगा।

10.2 आरंभिक स्थगन (moratorium) की अधिकतम अवधि 6 माह होगी।

10.3 आरंभिक स्थगन (moratorium) के बाद, ऋण अदायगी 3 से 7 वर्षों के बीच होगी।

11. वित्तीय प्रवाह :-

11.1 परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता, स्वीकृत परियोजना अनुसार संबंधित विभाग द्वारा बैंक को उपलब्ध कराई जायेगी। परियोजना अनुसार ऋण वितरण के पश्चात् एवं इकाई की स्थापना होने पर, बैंक शाखा मार्जिन मनी की राशि ले पायेंगे। इस हेतु एक नोडल बैंक के राज्य स्तरीय मुख्यालय पर पूल एकाउंट (Pool Account) खोलकर राशि अग्रिम तौर पर संबंधित विभाग द्वारा जमा की जायेगी। सभी अन्य बैंक योजनांतर्गत राशि की प्रतिपूर्ति, प्रकरण नोडल बैंक को भेजकर प्राप्त कर सकेंगे।

11.2 उद्यमी द्वारा नियमित ऋण भुगतान किये जाने पर ब्याज अनुदान का क्लेम बैंकों द्वारा नोडल बैंक में पृथक से इस आशय के खाते जिसमें विभागों द्वारा राशि अग्रिम रूप से जमा की जायेगी, से त्रैमासिक आधार पर प्राप्त किया जायेगा।

11.3 ऋण गारंटी निधि योजना अंतर्गत प्रथम वर्ष में देय गारंटी शुल्क एवं पश्चातवर्ती वर्षों में देय गारंटी सेवाशुल्क की प्रतिपूर्ति, नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित बैंक प्राप्त कर सकेंगे।

12. विविध :-

- 12.1 योजना अंतर्गत भागीदारी के प्रकरणों पर विचार किया जा सकता है परंतु भागीदारी एक ही परिवार के सदस्य के बीच मान्य नहीं होगी। समस्त भागीदारों द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। सहायता उद्यम के मान से दी जायेगी।
- 12.2 औद्योगिक इकाईयों को उद्योग संवर्धन नीति 2010 (यथा संशोधित 2012) में घोषित अन्य सुविधाएं भी (पात्रता होने पर) प्राप्त हो सकेंगी।
- 12.3 बैंक से आशय समस्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक से है, जो ऋण गारंटी निधि योजना अंतर्गत मान्य हैं।
- 12.4 गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर हितग्राही से समस्त राशि 10 प्रतिशत दण्डित ब्याज सहित वसूल की जावेगी।
- 12.5 योजना अंतर्गत स्थापित उद्यम का निरीक्षण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा। ऋण राशि का दुरुपयोग पाये जाने की स्थिति में भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी।
- 12.6 हितग्राही द्वारा ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान/भुगतान में डिफाल्ट करने की स्थिति में योजनांतर्गत पूर्व में दी गयी सहायता भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली योग्य होगी तथा उक्त परिस्थिति में भविष्य में दी जाने वाली सहायता भी देय नहीं होगी।
- 12.7 जिला स्तरीय समीक्षा समिति से प्राप्त संदर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी में विचार हेतु रखे जावेंगे।
- 12.8 योजना की व्याख्या/संशोधन हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग सक्षम होगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना  
(₹50,000/-तक की परियोजना हेतु आवेदन-पत्र)

फोटो

1	आवेदक का पूरा नाम	
2	पिता/पति का नाम	
3	अ. निवास स्थान एवं पत्राचार पूर्ण पता	
	ब. दूरभाष/मोबाईल नम्बर	
	स. प्रस्तावित इकाई स्थल का पता	
	द. इकाई का दूरभाष/मोबाईल नम्बर	
4	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
5	तकनीकी योग्यता/अनुभव जैसे आई.टी.आई./डिप्लोमा/इंजीनियरिंग/ अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त माड्यूलर एम्प्लायबल स्किल्स (MES) प्रमाणपत्र (यदि कोई हो, प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
6	अ. जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
	ब. आवेदन दिनांक को उम्र	वर्ष.....माह.....दिन.....
7	अ. आवेदक की श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./ अल्पसंख्यक/निःशक्तजन) (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
	ब. लिंग (पुरुष/महिला)	
8	अ. प्रस्तावित गतिविधि का नाम (परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें)	



	ब. परियोजना का प्रकार (विनिर्माण इकाई/सेवा इकाई/व्यवसाय)	
9	अ. परियोजना लागत  (i) भूमि/भवन (स्वयं/किराये पर) (ii) मशीन/उपकरण/साज-सज्जा (iii) कार्यशील पूंजी  योग	₹ ₹ ₹ ----- ₹
	ब. प्रस्तावित वित्तीय प्रबंध  (i) मार्जिनमनी सहायता (परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अथवा ₹10,000/-, जो भी कम हो)  (ii) बैंक से अपेक्षित ऋण राशि  योग	₹  ₹ ----- ₹ -----
10	प्रस्तावित बैंक शाखा का नाम जहाँ हितग्राही अपना ऋण प्रकरण भेजना चाहता हो	1. 2.
11	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
12	पूर्व में शासन की ऐसी किसी योजना का लाभ लिया हो अथवा लाभ प्राप्त किया जा रहा हो तो उसका विवरण।	
13	अन्य कोई विवरण	

आवेदक का नाम एवं  
हस्ताक्षर

घोषणा

मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण (बिन्दु क्रमांक 1 से 13 तक) सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम एवं  
हस्ताक्षर

आवेदन-पत्र में संलग्न किये जाने वाले सहपत्रों की सूची

1. परियोजना प्रतिवेदन (संलग्न प्रारूप में)
2. राशन कार्ड/स्थाई निवास प्रमाण-पत्र/मतदाता पहचान-पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस (कोई भी एक)
3. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
4. जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
7. उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
8. भूमि/भवन किराये पर हो तो किराया-नामा
9. मशीनरी/उपकरण/साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन
10. अन्य

परियोजना – प्रपत्र  
(उद्योग/सेवा उद्यम हेतु)

1. आवेदक का नाम व पता :.....
2. उद्योग/सेवा उद्यम का नाम व पता :.....
3. उत्पाद/सेवा का नाम व परिचय एवं :.....  
बाजार में मांग की संभावना .....

4. प्रस्तावित क्षमता (मासिक)

क्रमांक	नाम वस्तु/सेवा कार्य	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
	योग –		

5. पूंजी विनियोजन :-  
(अ) स्थिर पूंजी

- (i) भूमि/भवन (स्वयं की/किराये पर) .....
- (ii) मशीन एवं साज-सज्जा

क्रमांक	मशीन/साज-सज्जा	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	योग –		

ब-कार्यशील पूंजी

(i) कच्चा माल

क्रमांक	कच्चे माल का नाम	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
	योग -		

(ii) वेतन एवं मजदूरी

क्रमांक	विवरण	संख्या	अनुमानित वेतन
1	व्यवस्थापक		
2	कुशल कारीगर		
3	अकुशल कारीगर		
4	अन्य		
	योग -		

(iii) अन्य व्यय

क्रमांक	विवरण	अनुमानित व्यय
1	ऑफिस / स्टेशनरी / विज्ञापन	
2	विद्युत / पानी	
3	किराया	
4	अन्य आकस्मिक व्यय	
	योग -	

6. कार्यशील पूंजी का योग (i+ii+iii) : ₹

7. उत्पादन लागत प्रतिमाह

(i) कार्यशील पूंजी : ₹

(ii) मशीन आदि पर घिसावट : ₹  
(स्थिर पूंजी का 10 प्रतिशत)

(iii) कुल पूंजी पर ब्याज : ₹

योग

8. लाभ/हानि प्रतिमाह  
(i) सेवा/उत्पादन विक्रय से आय : ₹  
(ii) उत्पादन लागत (-) : ₹

---

शुद्ध-लाभ

---

9. वित्तीय आवश्यकताएं  
(i) स्थिर पूजी हेतु  
(ii) कार्यशील पूजी हेतु : ₹

---

योग : ₹

---

10. आवश्यक वित्तीय प्रबंध  
(i) मार्जिनमनी सहायता : ₹  
(ii) बैंक से ऋण : ₹

---

योग : ₹

---

11. ऋण पुनर्भुगतान अवधि  
(मासिक/त्रैमासिक)

आवेदक का नाम एवं  
हस्ताक्षर

परियोजना – प्रपत्र  
(व्यवसाय हेतु)

1. आवेदक का नाम व पता :.....
2. व्यवसाय का नाम व पता :.....
3. प्रस्तावित व्यवसाय की संभावना :.....  
.....  
.....
4. पूंजी विनियोजन :-  
(अ) स्थिर पूंजी  
(i) भूमि/भवन (स्वयं की/किराये पर) :.....  
(ii) दुकान एवं साज-सज्जा

क्रमांक	विवरण	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
	योग –		

ब-कार्यशील पूंजी

(i) व्यवसाय हेतु सामग्री

क्रमांक	सामग्री का नाम	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
	योग –		

(ii) अन्य व्यय

क्रमांक	विवरण	अनुमानित व्यय
1	स्टेशनरी / विज्ञापन / पोस्टेज	
2	विद्युत / पानी	
3	किराया	
4	मजदूरी	
5	अन्य आकस्मिक व्यय	
6	पूंजी पर ब्याज आदि	
	योग –	

5. कार्यशील पूंजी का योग (i+ii) : ₹

6. लाभ / हानि प्रतिमाह

(i) व्यवसाय की औसत विक्री से लाभ : ₹

(ii) व्यवसाय पर खर्च (-) : ₹

---

शुद्ध-लाभ

---

7. वित्तीय आवश्यकताएं  
(i) स्थिर पूजी हेतु : ₹  
(ii) कार्यशील पूजी हेतु : ₹

---

योग

---

8. आवश्यक वित्तीय प्रबंध  
(i) मार्जिनमनी सहायता : ₹  
(ii) बैंक से ऋण : ₹

---

योग : ₹

---

9. ऋण पुनर्भुगतान अवधि  
(मासिक / त्रैमासिक)

आवेदक का नाम एवं  
हस्ताक्षर



# मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

(₹50,000/-से ₹25 लाख तक की परियोजना हेतु आवेदन-पत्र)

फोटो

1	आवेदक का पूरा नाम	
2	पिता/पति का नाम	
3	अ. निवास स्थान एवं पत्राचार पूर्ण पता	
	ब. दूरभाष/मोबाईल नम्बर	
	स. प्रस्तावित इकाई स्थल का पता	
	द. इकाई का दूरभाष/मोबाईल नम्बर	
4	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
5	तकनीकी योग्यता/अनुभव जैसे आई.टी.आई./डिप्लोमा/इंजीनियरिंग/ अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त माड्यूलर एम्प्लायबल स्किल्स (MES) प्रमाणपत्र (यदि कोई हो, प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
6	अ. जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
	ब. आवेदन दिनांक को उम्र	वर्ष.....माह.....दिन.....
7	अ. आवेदक की श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./ अल्पसंख्यक/निःशक्तजन) (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
	ब. लिंग (पुरुष/महिला)	
8	अ. प्रस्तावित गतिविधि का नाम (परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें)	
	ब. परियोजना का प्रकार (विनिर्माण इकाई/सेवा इकाई/व्यवसाय)	

9	<p>अ. परियोजना लागत</p> <p>(i) भूमि/भवन (ii) मशीन/उपकरण/साज-सज्जा (iii) कार्यशील पूंजी</p> <p style="text-align: right;">योग</p>	<p>₹ ₹ ₹</p> <p>-----</p> <p>₹</p>
	<p>ब. प्रस्तावित वित्तीय प्रबंध</p> <p>(i) आवेदक की मार्जिनमनी (ii) अपेक्षित टर्म लोन (iii) कार्यशील पूंजी हेतु ऋण</p> <p style="text-align: right;">योग</p>	<p>₹ ₹ ₹</p> <p>-----</p> <p>₹</p> <p>-----</p>
10	प्रस्तावित बैंक शाखा का नाम जहाँ हितग्राही अपना ऋण प्रकरण भेजना चाहता हो।	<p>1.</p> <p>2.</p>
11	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
12	पूर्व में शासन की ऐसी किसी योजना का लाभ लिया हो अथवा लाभ प्राप्त किया जा रहा हो तो उसका विवरण।	
13	अन्य कोई विवरण	

आवेदक का नाम एवं  
हस्ताक्षर

घोषणा

मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण (बिन्दु क्रमांक 1 से 13 तक) सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम एवं  
हस्ताक्षर

आवेदन-पत्र में संलग्न किये जाने वाले सहपत्रों की सूची

1. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
2. राशन कार्ड/स्थाई निवास प्रमाण-पत्र/मतदाता पहचान-पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस  
(कोई भी एक)
3. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
4. जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
7. उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
8. भूमि/भवन किराये पर हो तो किराया-नामा
9. मशीनरी/उपकरण/साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन
10. अन्य

# मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

## संभावित प्रश्न-उत्तर

- 1 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब से आरंभ की जा रही है ?  
उक्त योजना दिनांक 1 अप्रैल 2013 से आरंभ की जा रही है ।
- 2 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जावेगा?
  1. योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग— वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग
  2. ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वयन — ग्रामीण विकास विभाग (जनपद पंचायत)
  3. शहरी क्षेत्र में क्रियान्वयन — वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग  
(जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र)
- 3 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु शैक्षणिक योग्यता कितनी आवश्यक है ?  
आवेदक न्यूनतम दसवी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
- 4 क्या योजना के लाभ हेतु परिवार की कोई वार्षिक आय सीमा निर्धारित है ?  
योजना के लाभ हेतु आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।
- 5 आवेदक यदि ऐसी किसी अन्य सरकारी योजनांतर्गत पूर्व से ही सहायता प्राप्त कर रहा है अथवा सहायता प्राप्त कर चुका है, क्या तब भी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा ?  
आवेदक ऐसी किसी अन्य सरकारी योजनांतर्गत पूर्व से सहायता प्राप्त कर रहा है तब वह इस योजना अंतर्गत पात्र नहीं होगा ।  
परन्तु आवेदक पूर्व से ऐसी किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर चुका है, और वह उस योजना का डिफाल्टर भी नहीं है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत पात्रता की शर्तों को पूरा करता है तो वह योजना हेतु पात्र होगा ।
- 6 बैंक ऋण हेतु क्या कोई पृथक से गारंटी देना होगी ?  
उद्योग एवं सेवा उद्यमों में गारंटी 'ऋण गारंटी निधि' योजना (सीजीटी-एमएसई) के माध्यम से देय है अतः बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेक्टरल सिक्योरिटी की मांग आवेदक से नहीं की जायेगी ।
- 7 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ऋण की सीमा क्या होगी ?  
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में युवाओं हेतु दो श्रेणियों के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किये जा सकेंगे ।
  - प्रथम श्रेणी अंतर्गत रु 50 हजार तक की परियोजनाएं शामिल होंगी ।
  - द्वितीय श्रेणी अंतर्गत रु 50 हजार से रु 25.00 लाख तक की परियोजनाएं शामिल होंगी ।

- 8 रु 50 हजार तक की परियोजनाओं हेतु क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी ?  
देय सहायता निम्नानुसार होगी –
- परियोजना लागत पर 20%की दर से मार्जिन मनी सहायता अनुदान के रूप में (सिर्फ एक बार देय) अधिकतम रु 10 हजार
  - नियमित ऋण भुगतान पर 5 प्रतिशत की दर 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान (अधिकतम रु 2000/– प्रतिवर्ष )
  - उद्योग एवं सेवा उद्यम पर गारंटी शुल्क एक प्रतिशत की दर से अधिकतम रु 500/– एवं अगामी 4 वर्षों में गारंटी सेवा शुल्क 0.5% की दर से अधिकतम रु 1000/– की प्रतिपूर्ति की सुविधा।
- 9 रु 50 हजार से 25 लाख तक की परियोजनाओं हेतु क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी ?
- पूंजीगत लागत तथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक (पूंजीगत लागत पर रु. 50 हजार अधिकतम प्रति वर्ष तथा कार्यशील पूंजी पर रु. 25 हजार अधिकतम प्रति वर्ष) (कुल अधिकतम सीमा रु. 75 हजार प्रति वर्ष )
  - सीजीटीएमएसई गारंटी शुल्क (एक बार देय) 1 से 1.5 प्रतिशत दर से अधिकतम रु. 37500/–
  - सीजीटी-एमएसई गारंटी सेवा शुल्क आगामी 4 वर्षों हेतु 0.5 से 0.75 प्रतिशत अधिकतम रु. 75000/–
- 10 मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत कौन सी विशिष्ट सुविधायें दी जा रही है ?  
योजना अंतर्गत ऋण गारंटी निधी योजना (सीजीटी-एमएसई) अंतर्गत गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा ब्याज अनुदान जैसी विशिष्ट सुविधाये दी जा रही है
- 11 क्या अन्य स्वरोजगार योजना अंतर्गत लाभांविता हितग्राही इस योजना की विशिष्ट सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेगा ?  
नहीं, आवेदक इस योजना अंतर्गत विशिष्ट सुविधा का लाभ नहीं ले सकेगा परन्तु इस योजनांतर्गत आवेदक पात्रता की शर्तें पूर्ण करता है, तो अन्य प्रचलित स्वरोजगार योजनाओं में भी इस योजना के अनुरूप विशिष्ट सुविधायें दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अंतर की राशि संबंधित विभाग द्वारा देय होगी।
- 12 योजनांतर्गत कौन सी पात्र गतिविधियाँ होगी ?  
उद्योग सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित समस्त उद्यम गतिविधियाँ। उद्योग एवं सेवा के अंतर्गत वह सभी गतिविधियाँ, जो एमएसएमई एक्ट 2006 अंतर्गत मान्य की गयी है।

- 13 क्या आवेदक, उद्योग/सेवा/व्यवसाय, सभी गतिविधियां में सहायता प्राप्त कर सकेगा ?  
योजनातर्गत सहायता के लिये आवेदक उपरोक्त में से सिर्फ एक, गतिविधि हेतु ही पात्र होगा।
- 14 योजना समाज के सभी वर्गों हेतु है, क्या इसमें किसी प्रकार की प्राथमिकता का प्रावधान किया गया है ?  
योजनातर्गत प्राथमिकता हेतु प्रावधान निम्नानुसार है –
- आईटीआई/डिप्लोमा/ईजीनियरिंग/अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त माड्यूलर-एम्पलायवल स्किल (एमईएस) प्रमाण पत्र।
  - गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला सर्वे सूची में अंकित हितग्राही।
  - अजा/अजजा/अन्य पिछडा वर्ग/महिला/निःशक्तजन
  - उघमिता विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित हितग्राही।
- 15 योजनातर्गत आवेदन की प्रक्रिया क्या है ?  
आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक सहपत्रों सहित आवेदन, ग्रामीण क्षेत्र का संबंधित जनपद पंचायत में तथा शहरी क्षेत्र का जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में किया जावेगा।
- 16 आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त होगा, क्या कोई आवेदन शुल्क देय है ?  
आवेदन पत्र संबंधित जनपद पंचायत एवं जिला व्यापार उद्योग केन्द्र से निःशुल्क प्राप्त होगा। आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।
- 17 आवेदन पत्रों का निराकरण कैसे होगा ?  
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/जनपद पंचायत द्वारा योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र योजना अंतर्गत गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे, अनुमोदन उपरांत ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन संबंधित जनपद पंचायत द्वारा एवं शहरी क्षेत्र के आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बैंकों को अनुशंसा सहित अग्रेषित किये जायेंगे।
- 18 बैंकों द्वारा ऋण प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया क्या होगी ?  
बैंक द्वारा 30 दिवस के अन्दर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा। 30 दिवस में बैंक से निराकरण संबंधी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जावेगी।
- 19 योजनातर्गत किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी ?

योजनागत ऋण स्वीकृत के पश्चात उद्यमी को 3 से 10 दिवस का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा।

- 20 मुख्यमंत्री युवा स्वरोगार योजना में ब्याज की दर क्या होगी ?  
उद्यमी से बैंक द्वारा ब्याज सामान्य दर से लिया जावेगा।
- 21 ऋण अदायगी की अवधि क्या होगी ?  
आरंभिक स्थगन (moratorium) की अवधि अधिकतम 6 माह होगी। आरंभिक स्थगन के बाद ऋण अदायगी 3 से 7 वर्षों की बीच होगी।
- 22 आवेदक को मार्जिन मनी सहायता कैसे प्राप्त होगी ?  
आवेदक की इकाई स्थापना के पश्चात बैंक शाखा, मार्जिन मनी की राशि नोडल बैंक, जहाँ संबंधित विभाग द्वारा पूल अंकाउट में अग्रिम राशि जमा की है, से प्राप्त कर आवेदक के ऋण खाते में समायोजित की जा सकेगी।
- 23 उद्यमी को ब्याज अनुदान सहायता कैसे प्राप्त होगी ?  
उद्यमी द्वारा नियमित ऋण भुगतान किये जाने पर ब्याज अनुदान का क्लेम त्रैमासिक आधार पर बैंको द्वारा नोडल बैंक (जहां इस आशय के खाते में संबंधित विभाग द्वारा अग्रिम राशि जमा की गयी है) से प्राप्त कर सकेगे। ब्याज अनुदान सहायता 5 वर्षों हेतु देय है।
- 24 ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीटी-एमएसई) अंतर्गत गारंटी शुल्क गारंटी, सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति किस प्रकार होगी ?  
ऋण गारंटी निधि योजना अंतर्गत प्रथम वर्ष में गारंटी शुल्क एवं पश्चातवर्ती 4 वर्षों में देय, गारंटी सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित बैंक प्राप्त कर सकेगे।
- 25 हितग्राही द्वारा ऋण का दुरुपयोग/डिफाल्टर होने की स्थिति में क्या कार्यवाही की जावेगी ?  
हितग्राही द्वारा ऋण का दुरुपयोग/डिफाल्टर होने की स्थिति में योजनागत पूर्व में दी गयी सहायता भू-राजस्व की तरह वसूली योग्य होगी तथा उक्त परिस्थिति में भविष्य में दी जाने वाली सहायता भी देय नहीं होगी।
- 26 क्या योजनागत भागीदारी प्रकरणों को सम्मिलित किया जावेगा ?  
योजनागत भागीदारी प्रकरणों पर विचार किया जा सकता है परन्तु सहायता उद्यम के मान से दी जावेगी।

# परियोजना चयन

शुरूआत तो विचारों से होती है।

● विचार –:

- ☞ क्या यह विचार आपको अभिप्रेरित करता है ?
- ☞ क्या यह व्यापारिक प्रस्ताव आपके क्षेत्र में व्यवहारिक रहेगा?
- ☞ क्या यह ग्राहकों की मांग के अनुरूप हैं ?
- ☞ बाजार की स्थिति का आंकलन करें ?
- ☞ बाजार में इसका परीक्षण करें ।
- ☞ विशेषज्ञों से राय लें ।
- ☞ प्रतियोगी का अता-पता लें ।
- ☞ क्या यह व्यवसाय का सुनहरा समय भी हैं ?
- ☞ अगर सारी स्थितियां आपके अनुकूल है तो व्यवसाय के लिए यह सुनहरा अवसर हैं ।

"हमारे श्रेष्ठ व्यवसायिक मिशन उन विचारों पर आधारित होते हैं जो प्रायः हमारी गहरी व्यक्तिगत अभी प्रेरणाओं तथा हितों से उभरते हैं।" – (वारेन ऐविस)



# परियोजना परिचय

खाद्य वस्तुओं तथा खाद्य – प्रसंस्करण के क्षेत्र से संबंधित उत्पाद/इकाईयाँ

क्रं.	इकाई का विवरण	प्रमुख मशीन व उपकरण	प्रमुख कच्चा माल
1	लघु दाल मिल	दाल मिल	चना,
2	बिस्किट्स निर्माण,	डफ मिक्सर, वेकिंग ओवन, वेकिंग पैन्स, मोल्डस, तथा ढाईया/साचे ,	आटा,मैदा,शकर,घी,दूध,तरल ग्लूकोज, स्टार्च
3	आलू ,चिप्स,तथा वेफर्स	पीलिंग,मशीन,स्लाईसिंग मशीन, डिहाइड्रेटर, डीजल भट्टी, फ्राईंग पैन ,	आलू,नमक,रिफाईंड तेल,काली मिर्च आदि ।
4	पापड़ निर्माण	पापड़ बेलने की मशीन, आटा गूजने की मशीन लोहे काटने की मशीन लोई दबाने की मशीन	उड़द, आटा, मूंग, आटा, पापड़, नमक, तेल, कालीमिर्च, चने की दाल,
5	बेसन निर्माण	पल्वराइजर तथा अन्य सहायक उपकरण	चने की दाल, पैकिंग सामग्री
6	अचार निर्माण	लैसर –स्लाइजर, कैप सील मशीन गैस स्टोव/डीजल भट्टी	नींबू-शकर मिर्ची-नमक हल्दी-हींग
7	मक्के से पॉपकार्न बनाना	पॉपिंग मशीन, सीलिंग मशीन	मकई-नमक, खाद्य तेल,मसाला, काली मिर्च,
8	खाद्य तेलों का उत्पादन	आइल एक्सपैलर, फिल्टर प्रैस,स्टीम कैटल	मूंगफली के दाने सरसों
9	मसाला निर्माण	पल्वराइजर, बैग सीलिंग मशीन तराजू तथा अन्य उपकरण	लाल मिर्ची , धनियाँ-हल्दी

10	दूध से बनाये जाने उत्पाद	क्रीम सैपरेटर, टैस्टिंग मशीन, मंथानी डीजल भट्टी पौलीथीन बैग्स सीलिंग मशीन –फ्रीजर बर्तन आदि	दूध
11	प्याज की गाढ़ी मसालेदार चटनी	आटोकलेव / स्टीम कुकर, कड़ाही एवं भगोने, मिक्सर-डीजल, सेव / खारे बनाने की मशीन हाइड्रो एक्सट्रैक्टर पल्वराइजर –भट्टी आदि	प्याज, वनस्पति घी, नमक हल्दी, साइट्रिक एसिड, लहसुन आदि
12	नमकीन बनाने की मिल	सेव / खारे बनाने की मशीन हाइड्रो एक्सट्रैक्टर पल्वराइजर –भट्टी आदि	बेसन, शकर, पोहा सींगदाना मक्कामूग, मोगर, मसूर खड़ी चनादाल, मिर्च पिसी-हल्दी काला नमक, अजवाइन तेल पौलीथीन
13	सौडा वाटर	एरिएटेड वाटर बॉटलिंग यूनिट वाटर फिल्टर	कार्बनडाइआक्साइड गैस तथा कैमिकल्स क्राउन कार्क
14	चावल से मुरमुरा बनाना	राइस पफिंग प्लांट अन्य उपकरण बर्तन आदि	प्रेसर पारबाइल्ड चावल पैकिंग सामग्री
15	शहद प्रक्रियाकरण मिल	हनी स्टेनर शहद संसाधित करने का संयंत्र ढक्कन बंद करने की मशीन	अशुद्ध शहद बोतलें- पैकिंग सामग्री –केमिकल्स
16	आईस क्रीम के लिये आईसक्रीम कोन बनाना	आईस क्रीम कोन मेंकिंग मशीन मिक्सर मशीन मिक्सर अन्य उपकरण	मैदा, स्टार्च, लैसीथीन, खाद्य तेल, खाद्य रंग, पानी
17	टूटी फ्रूटी बनाने की इकाई	पीलिंग मशीन स्लाईसिंग मशीन डीजल भट्टी बर्तन आदि	पपिता कद्दू शक्कर पलेवर तथा खाद्य रंग पैकिंग मेटेरियल
18	सुपारी चिप्स / बोल्टर कटिंग मशीन	सुपारी चिप्स / बोल्टर कटिंग मशीन तुला अन्य कार्यालयीन उपकरण	सुपारी पैकिंग सामग्री
19	सेवईयों बनाना	वर्मीसिली मशीन मिक्सिंग मशीन तुला अन्य उपकरण	मैदा स्टार्च टैपिओका पावडर

20	रेवड़ी, चिरौंजी, गजक, बनाना	चिरौंजी बनाने की मशीन केरोसीन/ डीजल भट्टी बर्तन/ कड़ाही आदि	शक्कर ग्लूकोज रंग तिल-घी
21	पशु अहार/ मुर्गी दाना निर्माण	ग्राइण्डर ऑरिजैन्टल मिक्सर तराजू	मूंगफली की खली गेहूं का भूसा धान का भूसा मक्का कपास के बीज शीरा नमक कैलशियम कर्बोनेट मिनरल मिक्स आदि।
22	लघु राइस मिल	रबर रोलर 6 एयर जैट पॉलिशर तराजू व कॉट/ बाट	धान
23	धनिया दाल के निर्माण	धनिया दाल निर्मित करने मशीन पॉलिशर	धनिया, पॉलीथीन की थेलियाँ
24	पिसाई/ आटा उत्पादन हेतु आटा चक्की	चक्की 18,,10,, हा.पा. बीम स्केल तुला, तगाडी टाइप तुला	गेहूं एवं पैकिंग सामग्री
25	नूडल्स बनाने की इकाई	मिक्सर नूडल्स मशीन अन्य उपकरण	मैदा कस्टर्ड पावडर रिफाइंड तेल परिरक्षक रंग व नामक
26	डबल रोटी निर्माण की इकाई	डॉ निडिंग मशीन फ्लोर शिफ्टर सुगर पल्परराइजर ब्रेड स्लाइसिंग मशीन, बेकिंग ओवन तराजू विभिन्न बर्तन आदि	आटा मैदा नमक वनस्पती घी खनिज यीस्ट आदि
27	जैम-जैली का निर्माण	डीजल भट्टी पल्पर पतीले चाकू ग्रेटर आदि	फल शक्कर पोटैसियम मेटा बाई सल्फाइड व अन्य रसायन, एसेंस पैकिंग सामग्री
28	दूध से मावा निर्माण की इकाई	मावा बनाने की मशीन मिल्क केन्स भौतिक तुला	दूध
29	पान मसाला पाऊच पैकिंग	पाऊच पैकिंग मशीन मिक्सर	सपाडी कत्था चूना इलायची लॉग केसर पिपरमेंट एवं पैकिंग

			मटेरियल
30	बटन मशरूम के उत्पादन	लकड़ी की पेटी स्प्रे पम्प कूलर रूम हीटर अन्य उपकरण तथा औजार	कम्पोस्ट स्पॉन अन्य रसायन
31	फल एवं सब्जी के परिरक्षण	स्कू –टाइप जूस एक्सट्रेक्टर	विभिन्न फल तथा सब्जियाँ

## इंजीनियरिंग के क्षेत्र से संबंधित इकाईयाँ

क्रं.	इकाई का विवरण	प्रमुख मशीन व उपकरण	प्रमुख कच्चा माल
1	लोहे के वॉशर बनाना	फलाई प्रेस नं. 4 ओर 8 डाई पंच सैठ –बर निकालने	18 से 22 गेज की लोहे की चद्दरों
2	मोटर गाड़ियों के लगेज केरियर्स तथा गार्डस बनाना	रोलर टाइप बेन्डिंग मशीन गैस वैल्डिंग सैट पोर्टेबल ड्रिल मोटराइज्ड डबल बेंच ग्राइंडर स्टोव्ह एनेमलिंग ओवर एयर काम्प्रेसर –स्प्रे पेंटिंग गन	ई.आर.डब्लू ट्यूब्स माइल्ड स्टील कटिंग, नटबोल्ट, रबर के कम्पोनेन्ट्स
3	कूलर्स बनाना	जाली कटिंग मशीन हस्तचलित एज बैन्डिंग मशीन गैस वेल्डिंग सैट वेल्डिंग ट्रांसफार्मर पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन हैंड ऑपरेटेड पोर्टेबल ड्रिल मशीन काम्प्रेसर तथा स्प्रेगन	जी.आ.शीट्स पंप तथा पंखे बिजली के स्विच, खस की चटाई आदि
4	सफेद स्टेपल पिन निर्माण	ऑटोमैटिक स्टेपल पिन मेकिंग मशीन स्पेयर	प्रीफार्मड वायर एडीसिव पैकिंग
5	पेपर पिन/ऑल पिन निर्माण	ऑटोमैटिक पेपरपिन मशीन ड्रायर ड्रम पॉलिशिंग/प्लेटिंग	एम.एस. वायर 20-22 गेज पॉलिशिंग रसायन पैकिंग बाक्सेज

		बैरल	
6	तार की टोकरियों, घरेलू सामान रखने का स्टेण्ड,	स्पॉट वैल्डिंग मशीन वायर स्टेटनिंग व कटिंग मशीन	8 तथा 10 गेज का तार प्लास्टिक कोटिंग्स
7	दुपाहिया वाहनों के बास्केट	हैंड आपरोटेड टीन/तार कटिंग मशीन –डाइयां इलैक्ट्रीकल ओवन,हैंड टूल्स	इलैक्ट्रोडज
8	स्टील अलमारी का निर्माण	प्रेस बेक गैस वैल्डिंग सैट फिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन स्प्रे काम्प्रेसर –वेल्डिंग ट्रांसफार्मर बैंच	स्टील की चद्दरे कब्जे हैंडल ताले आदि
9	लोहे की कीलें बनाना	वायर नेल मेकिंग मशीन पॉलिशिंग बैरल –वायर स्टेण्ड–ग्राइंडर/कटर	कोल्ड ड्रान एम.एस. वायर पैकिंग के लिये बोरियां
10	इंजीनियरिंग वर्कशॉप	सैन्ट्रल लेथ – वेल्डिंग ट्रांसफार्मर पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन पावर हैक्सा–ग्राइंडर वर्क बैंच –अन्य टूल्स तथा	वैल्डिंग इलैक्ट्रोडस हार्डवेयर वस्तुएं कन्जयूमैबल्स
11	कृषि यंत्रों के निर्माण की इकाई	गैस कटिंग सेट – वेल्डिंग मशीन ड्रिल मशीन,बैंच ग्राइंडर पोर्टेबल, ग्राइंडर शीट कटिंग मशीन, लेथ	शीट,एंगिल ,सरिया चेनल पत्ती अन्य हार्डवेयर–वस्तुयें
12	पैन्टोग्राफी उद्योग	पैन्टोग्राफ मशीन–फ्रेट	प्लास्टिक शीट्स

	–ताबां पीतल, प्लास्टिक आदि के नेम प्लेट बनाना	सा मशीन राऊड आरा मशीन ड्रिल मशीन –हिन्दी मास्टर लैटरसैट, हैंड टूल्स इंग्लिश लेटर सैट	पीतल की शीट 24 गेज की आलपीन – वार्निश – फ़ैवीकोल पैकिंग मेटेरियल
13	गिलट के आभूषणों का निर्माण	हस्तचलित तारपत्र मशीन, फलाई प्रैस–चडियों, रिंग	गिलट धातु शोरा / तेजाब / स्प्रिट /
14	रोलिंग शटर्स के निर्माण की इकाई	हैंड शीयरिंग मशीन–हैंड प्रेस ब्रेक–वेल्लिंग ट्रांसफार्मर पिल्लर टाइप ड्रिंकिंग मशीन	एम.एस. स्ट्रिप्स –एम. एस. शीट्स तथा फलेट्स –स्प्रिंग नट तथा बोल्ट पेंट तथा वार्निश आदि
15	आईस्क्रीम के लिये चम्मच तथा स्टिक्स	बॉल प्रैस–डाइयाँ तथा हस्त औजार	सिंगल प्लाईवुड का वेस्ट / स्केप पैकिंग सामान
16	स्टील तथा एल्युमीनियम की हार्डवेयर वस्तुयें	हैंड शेयरिंग मशीन पॉवर प्रैस –लेथ मशीन आर्क वेल्डिंग मशीन टूल पोस्ट ग्राइडर	एम.एस. सेक्सन बार्स तथा स्ट्रिप्स एल्युमिनियम सैक्शन बार्स तथा स्ट्रिप्स
17	मुर्गा जाली बनाने की इकाई	वायर नेटिंग मशीन अन्य उपकरण हैंड	जी.आई.वायर
18	साइकिल कैरियर्स तथा स्टेण्ड	हैंड लीवर शीयरिंग मशीन, पंचिंग मशीन, फलाई प्रैस नंबर 10 बेंच ग्राइडर स्प्रिंग बनाने के फिक्सचर्स अन्य उपकरण तथा हस्त औजार	एम.एस. फ्लैट, पट्टी चैनल–रॉड– स्प्रिंग स्टील वायर –पेंट रिबेट

19	एल्युमिनियम फर्नीचर कुसिर्यो का निर्माण	पाइप बैन्डिंग मशीन हैंड लीवर शीयरिंग मशीन बेंच वाइस 4" साइज हैड ड्रिलिंग मशीन 1/2" डाय बेंच ग्राइंडर 8 इंच हार्ड प्रैस अन्य उपकरण तथा हस्त औजार	एल्युमीनियम के पाइप, प्लास्टिक ट्यूब 3 एम. एम. डाय प्लास्टिक केन – वायर के पाइप अन्य विविध वस्तुएं जैसे नट रिबट आदि
20	एल्युमीनियम के बर्तन	स्पिनिंग लेथ –फलाई प्रैस नं. 6 तथा 8 पोर्टबल ड्रिलिंग मशीन बेंच ग्राइंडर – हस्त	एल्युमीनियम सर्कल्स 18,20,तथा 22s.w.g अन्य कंज्यूमेबल्स
21	ऑटो फिल्टर्स के निर्माण की इकाई	स्पॉट वैलिडिंग मशीन, पंचिंग मशीन, प्लीटिंग एंड जॉइंटिंग मशीन प्राइमरी टैंपिंग मशीन हॉरिंग प्रैस ओवन	लोहे की जाली, आउटर व इनर फिल्टर पेपर, रिग्स वायर लॉक्स, कॉटन मीडिया, पैकिंग मैटेरियल;
22	क्लच एवं गीयर वार्यस के निर्माण की इकाई	वायर टिवस्टिंग मशीन 12 स्पिंडल फलाई प्रैस वैलिडिंग मशीन, वायर स्टेटनिंग मशीन वयर	एम.एस. वायर बरत/घुंडी मैगि मेटरियल
23	स्टील की पेटी/ट्रंक निर्माण की इकाई	प्रेस ब्रेक, गैस वेलडिंग सेट वेलिडिंग ट्रांसफार्मर, बेंच ग्राइंडर हैंड आपरेटिड ड्रिल मशीन कॉम्प्रेसर, पिलर	एम.एस. पाईप्स एम. एस. एंगल सी आर शीट्स एम. एस प्लेट्स



24	हेयर पिन निर्माण की इकाई	ऑटोमैटिक हेयर पिन बनाने की मशीन ड्रिलिंग मशीन बेंच	16-18 गेज को स्प्रिंग इस्पात की तार, इनेमल पेंट पैकिंग
25	लिक क्लिप्स निर्माण की इकाई	पॉवर प्रैस 6 नं, ट्रेडल कर्तनयंत्र पॉलिशिंग ड्रम डाइयां व अन्य औजार	टिन की कतरने पॉलिश सामग्री पैकिंग बॉक्स आदि
26	मिक्सर तथा ग्राइंडर का निर्माण/एसेम्बलिंग	ड्रिल मशीन बफिंग मशीन एम्पीयर मीटर टैस्टिंग बोर्ड तथा-हस्त औजार	ए.बी.एस बॉडी कवर्स स्टील के जार - मोटरें , ग्राइंडर बुश सैन्ट्रीफ्यूगल ज्यूसर,

## रसायन के क्षेत्र से संबंधित उत्पाद / इकाइयां

क्रं.	इकाई का विवरण	प्रमुख मशीन व उपकरण	प्रमुख कच्चा माल
1	अगरबत्ती निर्माण की इकाई	हाथ से चलने वाली छलनियां, लकड़ी के तख्ते, लकड़ी के रैक्स, प्लास्टिक ट्रे-एल्यूमिनियम ट्रे अन्य उपकरण	बांस की तीलियां कायेले का पावडर जिग्गत पावडर चंदन पावडर जड़-बूटी पावडर -सुगांधियां टेपिकोआ पावडर -पैकिंग सामग्री
2	डिटर्जेंट पावडर निर्माण	मिक्सर-पौलीथीन थैली सील करने की मशीन अन्य उपकरण	सोडा एश-एसिड स्लरी सोंप स्टोन-सोडियम क्लोराइड कार्बोक्सी मिथाइल, सुगांधित मिथाइल
3	तरल नील के निर्माण की इकाई	ड्रम टाइप लिक्विड मिक्सर भगोने-कोठियां, बाल्टियां आदि	एसिड वैट डाई-टिनोपाल सी.एम. सी. -स्टीयरिक एसिड सुगांधित पदार्थ -पानी
4	फिनाइल बनाने की इकाई	एम.एस.टैंक (500 लीटर क्षमता) एम.एस.मिक्सिंग टैंक विद स्टिरर-प्लेनेटरी मिक्सर भट्टी, हाईड्रोमीटर -बॉटल कैप सीलिंग मशीन स्टोरेज वैसल्स	काला रोजीन-अरण्डी का तेल कास्टिक लाई -क्रोजोट ऑयल तारपीन का तेल कार्बोलिक एसिड कॉच की बोतलें-प्रिंटेड लेबल्स प्लास्टिक कन्टेनर्स

5	क्लीनिंग पावडर का निर्माण	हॉरीजोन्टल मिक्सर स्प्रोकेट तथा चेन गार्ड तुला-पौलीथीन बैग	डोलामाइट पावडर -नमक एसिड स्लरी -सोडा एश टी.एस.पी. -पौलीथीन की थैलियां सीलिंग के लिए मशीन
6	बाल धोने के लिये हर्बल शैम्पू पावडर	ग्राइंडर अथवा पल्वराइजर-मिक्सर, तुला, बैग, सीलिंग मशीन	रीठा-त्रिफला शिकाकाई -नीम की छाल सुगांधित द्रव्य -फोमिंग एजेंट मुलतानी मिट्टी
7	चॉक निर्माण	गन मैटल से बने सांचे टेबल, बाल्टी,जग,ड्रम,छलनी, चाकू,आदि	प्लास्टर ऑफ पैरिस स्लेकड लाइम रंग पैकिंग बाक्सेज
8	एक्सरे तथा अन्य फोटो फिल्मों से चांदी निकालना	25 लीटर क्षमता वाला सिल्वर रिकवरी यूनिट प्लास्टिक स्टोरेज टैंक,बालटियां तथा अन्य उपकरण	वेस्ट हाईपो (सोल्यूशन एक्सरे, फोटोग्राफी,ऑफसेट प्रिंटिंग इकाइयों से इकटा किया हुआ) सिल्वर टैस्टिंग रिट्रप्स
9	कॉच पर सिल्वरिंग करने की इकाई	स्प्रेगन (एयर काम्प्रेसर सहित) टेबल तथा रैक-वाश बेसीन, डायमंड,कटर, नापने का उपकरण, डिस्टिल्ड वाटर प्लांट, अन्य उपकरण	शीट ग्लास (20 मी.मी. मोटाई) रसायन (सिल्वर नाइट्रेट सेंसीटाइजिंग एजेन्ट)

10	इलैक्ट्रोप्लेटिंग साल्ट	स्टेनलैस स्टील का मिक्सर प्लास्टिक की टंकी-तराज परीक्षण उपकरण	निकल सल्फेट निकलक्लोराइड बोरिक एसिड-पैकिंग मेटेरियल
11	आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माण की इकाई	पल्वराइजर -मिक्सिंग मशीन बॉटल कैप सीलिंग मशीन स्टोरेज टैंक स्टील के डिब्बे तथा -प्रयोगशाला उपकरण	विभिन्न जड़ी-बूटियां, इलाईची, दालचीनी, सेंधा नमक, शक्कर, बोटलें,
12	दंत मंजन/टूथ पावडर-काला तथा सफेद टूथ पावडर	ग्राइंडर-मिक्सर-ट्रे-तुला -परीक्षण उपकरण बॉटल सीलर साईबिंग मशीन तथा उपकरण अन्य औजार	चारकोल, एलम, -यूविल प्टस आइल, ग्लिसरीन आदि-प्रीसिपेटेड चॉक, मैग्नीशियम कार्बोनेट-मैन्थॉल पिपरमिंट ऑयल, सोडियम परबोरेट लवंग तेल आदि
13	डिस्टिल्ड वाटर बनाने की इकाई	डिस्टिल्ड वाटर स्टिल कम्पलीट डिस्टिल्ड वाटर स्टोरेज टैंक एक्वा क्लीयर फीडर यूनिट, बॉयलर-बॉटल सीलर	पीने का पानी बोटलें/कन्टेनर्स कंज्यूमेबल्स
14	कपूर की गोलियां (पूजा-अर्चना आदि कार्यों में)	टेबलेटिंग मशीन-मिक्सर, डाइयाँ-फर्नीचर तथा अन्य उपकरण -पैकिंग	कपूर का पावडर पैकिंग मेटेरियल

	प्रयुक्त करने हेतु)	मशीन	
15	रेड ऑक्साइड (प्राइमर) का निर्माण	बॉल मिल परीक्षण उपकरण वेईग-सकेल-अन्य उपकरण तथा औजार	चायना क्ले-स्टीयरेंट जेल स्कार लेट क्रोम सी.एन.एस.एल.रेजीन एम.टी.ओ.लिनसीड रोजीनेटेड अल्काइड-पैकिंग हेतु डिब्बे
16	नेल पॉलिश का उत्पादन	मिक्सिंग मशीन प्लास्टिक कन्टेनर्स पैकिंग मशीन परीक्षण उपकरण	सैल्यूलोज नाइट्रेट की पुरानी फिल्म इमाइल एसीटेट-एसीटोन,रंग-पैकिंग बॉटल्स आदि
17	ईट निर्माण की इकाई	लोहे के सांचे लकड़ी के पट्टिये -फावड़े, गैती,बर्तन -3 हा.पा. की मोटर -पाइप आदि	मिट्टी -लकड़ी का बुरादा या भूसी-कोयले की चूरी,लकड़ी के उपले मूंगफली के छिलके
18	तरल नील निर्माण की इकाई	ड्रम टाइप लिक्विड मिक्सर, कोठियों,भगोने,बाल्टियाँ,म ग, जार व ट्रे आदि	एसिड वैटडाई,टिनोपोल,सी,एम,सी,स्टीयरि एसिड सुंगधित पदार्थ,पानी प्लास्टिक बोतले व जार
19	डिस्टेंपर पेट निर्माण की इकाई	बॉल,मिल,एज रनर, मिक्सर पगमिल,कोलाइड मिल।	चायना क्ले, ब्रायराइस एसिड,ऑइल व एमल्लिसफायर
20	रबर बैण्ड निर्माण	ऑटोमैटिक रबर बैण्ड	रबर रोल

	की इकाई	कटिंग मशीन, पॉलिथीन पैकेट्स, अन्य हस्त औजार	
21	अगरबत्ती / कुल्फी के लिए लकड़ी की काड़ी निर्माण की इकाई	बॉस काटने की मशीन, काड़ी / तीली बनाने की मशीन, अन्य उपकरण	साफ किए हुए सूखे बॉस
22	लकड़ी के फोटो फ्रेम बनाने की इकाई	वर्तुलाकार आरी, कटर ब्लॉक, व डिस्क सेन्डर, अन्य औजार	लकड़ी पेंट्स, वार्निश एवं अन्य सामान
23	एम.सी.आर तकनीकी से बनी टाइल्स	इलेक्ट्रिक बाइब्रेटर, फाइबर ग्लास के मोल्ड, व अन्य उपकरण	सीमेंट रेत / स्टोन डस्ट, बजटी, पेंट एवं अन्य कन्ज्यूमेंबल्स
24	सीमेंट कॉक्रीट ब्लॉक्स निर्माण की इकाई	कॉक्रीट मिक्सर, सांचे, लकड़ी के पाट व अन्य उपकरण	सीमेंट, मिट्टी, रेती, स्टोन डस्ट
25	फूलों को निर्जलीकृत करके उनसे कलात्मक वस्तुएं बनाने की इकाई	हॉट एयर ओवर, पेपर ट्रिमर टेबल ग्लास, कैंची चिमटी प्रेस, ब्रश एवं अन्य उपकरण	कार्ड शीट, एडहेसिव, फूल एवं पत्तियां खाली लिफाफे, सोखता कागज, बालू, सिलिका जेल, रंग आदि
26	धुलाई साबुन निर्माण की इकाई	कड़ाई, सांचे, स्लेब कटर्स, स्टिंशर, स्टांपिंग मशीन, तराजू व अन्य भट्टी आदि	विभिन्न अखाद्य तेल, सिलिकेट सोप स्टोन, कॉस्टिक सोडा, नमक एवं पैकिंग सामग्री

27	सीसल पौधे से रेशा निकालना तथा सजावटी सामान बनाना	रेपसीडर मशीन अन्य सहायक उपकरण	सीसल के पत्ते सजावटी रंग एवं सामान पैकिंग मैटेरियल
28	नालीदार कोयला बनाने की इकाई	नालीदार कोयला बनाने की मशीन-मिक्सर -तुला अन्य उपकरण	कोयला चूरी-बुरादा अन्य कंज्यूमेबल्स
29	कांच के प्रयोगशाला उपकरण	ब्लास्ट बर्नर्स-एयर काम्प्रेसर ग्लास ब्लोइंग टूल्स-ट्यूब कटिंग मशीन - ऑक्सीजन रैग्यूलेटर तथा सिलेण्डर-अन्य उपकरण तथा हस्त औजार आदि	ग्लास ट्यूबिंग्स अन्य कंज्यूमेबल्स

## कपड़ा एवं तैयार वस्त्र उद्योग के क्षेत्र से संबंधित उत्पाद

क्रं.	इकाई का विवरण	प्रमुख मशीन व उपकरण	प्रमुख कच्चा माल
1	सर्जिकल बैन्डेज की इकाई	क्लॉथ वाईडिंग मशीन बैन्डेज रोलिंग मशीन रोल कटिंग मशीन—रोल लपेटने के चर्खे—अन्य उपकरण	हैंडलूम पर बना बैन्डेज क्लॉथ पैकिंगउ सामग्री
2	साड़ी फॉल्स का निर्माण	पीको ,एम्बायडरी सिलाई मशीन इलैक्ट्रिक प्रैस—कैंची टेबल, शो केस आदि	कैमरिक कपड़ा — सिल्क धागा रील स्टीफनर कार्ड—पौलीथीन थैलियां
3	रैडीमेड गारमैंट / लेडीज. सूट्स	फूट आपेरेटेड सिलाई मशीन जिगजैग पीको मशीन इंटरलॉक मशीन विद्युत प्रैस कैंची हैंगर्स अलमारी / शो केस	सूती टैरीकॉट, लिजी—बिजी, स्विस् कॉटन कपड़ा,लेस, शो बटन —धागा बकरम,सूइयां पैकिंग बाक्सेज
4	सिलाई धागे की रीलें	हैंक—टू—कोन वाईडर 6 स्पिंडल मशीन के लिए टेबल / स्टैण्ड अन्य उपकरण	सूती सफेद धागे की लच्छियाँ पेपर ट्यूब्स गिट्टियां सेलीफीन पेपर तथा लेबल पैकिंग बाक्सेज
5	टेलर्स लेबल्स का निर्माण	मल्टीशटल जैकार्ड लूम 18 लाइन वाली एल.सी. आर.टाइप बेटन, हस्त	पहले से बूने हुये टेप रंग—बिरगें धामें



		औजार	
6	नर्म खिलौनों सॉफ्ट टॉयज का निर्माण	विद्युत चलित सिलाई मशीन सहायक उपकरण जैसे कैंची, फीता आदि	कपड़ा –फोम की कतरनें साटन के बिरन प्लास्टिक के बटन आंखे, धागा पैकिंग सामान
7	इलास्टिक टेप का निर्माण	ब्रेडिंग मशीनें 2 से 6 नम्बर इलास्टिक टेप के साइज के लिये बॉबिन तथा बॉबिन वाईडर पुली, पट्टे तथा स्टेण्ड – अन्य औजार	कृत्रिम सिल्क यार्न 450 काउंट रबर धागा 34 काउंट लेबल तथा पैकिंग मेटेरियल
8	विविध रंगों, डिजाइनों तथा पैटर्न के स्वैटर बनाने की पूर्णतः ऑटोमैटिक तथा	ऑटोमैटिक स्वैटर निटिंग मशीन इलैक्ट्र 4600	विविध ग्रेड्स की ऊन धागा
9	कोसा से रेशम धागा उत्पादन की इकाई	रीलिंग मशीन भट्टी टैंक बर्तन तथा अन्य उपकरण	कोकून उबालने के लिए एसिड आदि
10	पावरलूम की इकाई	लूम कम्पलीट 72 इंच साइज कांडी मशीन–प्लास्टिक कांडी	कॉटन यार्न कंज्यूमेबल्स

## इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र से संबंधित उत्पाद

क्रं.	इकाई का विवरण	प्रमुख मशीन व उपकरण	प्रमुख कच्चा माल
1	पंखे, मिक्सी ग्राइंडर आदि की क्वाइल वाईडिंग	थ्री इन वन स्पेशल टाइप वाईडिंग मशीन फील्ड क्वाइल वाईडिंग मशीन एकस्ट्रा एटेचमेंट अन्य उपकरण	35 से 36 गेज का एनामलड कॉपर वायर पौलिएस्टर शीट का विद्युत रोधी प्लास्टिक कोटेड पेपर
2	छोटे बल्बों की सजावटी झालरों	सोल्डरिंग आयरन – टैस्टिंग बोर्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टेस्टर्स / डिजाइन प्लायर्स तथा कट्टर	6.2 बाट के बल्व पीवीसी कोटेड वायर प्लास्टिक कैफ सोल्डर वायर अन्य औजार एवं पौलिथीन बैग
8	डैस्क टॉप पब्लिशिंग	कम्प्यूटर पी.सी.ए.टी. 386 डी. एक्स –लैसर प्रिंटर हिन्दी साफ़वेयर एयर कन्डीशनर	बॉड पेपर ट्रेसिंग पेपर टोनर फ्लॉपी
9	कम्प्यूटर प्रिंटर तथा इलैक्ट्रॉनिक टाइप राइटर्स के रिबन्स की रीइंकिंग	रिबन स्टफिंग मशीन सीलिंग मशीन पैनकेक वाईडिंग मशीन रिबन इंकिंग मशीन	नायलोन रिबन स्याही पैकिंग मेटेरियल कंज्यूमेबल्स
10	डी.सी.पावर सप्लाइज का निर्माण	बैंच ड्रिल-फ्लाइ प्रैस हस्त औजार तथा सोल्डरिंग आयरन –ओसिलोस्कोप एल.सी.	इंटेग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर्स –डायोड-कैपेसिटर्स पी.सी.बी. ट्रांसफार्मर्स

		आर ब्रिज मल्टीमीटर हाई वोल्टेज टैस्टर टैस्टिंग असेम्बली	
11	कन्ट्रोल पैनल्स का निर्माण	शीट बैंडिंग मशीन – ड्रिल मशीन आर्क वैल्डिंग मशीन गैस वैल्डिंगसेट –कम्प्रेसर बैंच ग्राइंडर –क्वाइल वाईडिंग	एम.एस. शीट्स व एंगल टर्मिनल स्ट्रिप तथा फयूज, इन्सूलेटिंग सामग्री पेंट तथा रेड ऑक्साइड – वैल्डिंग इलेक्ट्रोड्स ड्रिलिंग पिन, आदि
12	प्रिंटेड सर्किट बोर्डस का निर्माण	ड्रिलिंग मशीन–स्क्रीन कान्टीन्यूटी टैस्टर –होल टैस्टर स्टोरेज टैंक –हाई वोल्टेज टैस्टर – अन्य उपकरण	बेकेलाइट शीट सी.यू. क्लैड रेजिस्ट इंक एफ. ई.सी.एल. 3 सिल्क स्क्रीन
13	आई.एफ.व.आर. एफ क्वाइल्स का निर्माण	क्वाइल वाईडिंग मशीन सिग्नल जेनरेटर डी.सी. पावर सप्लायज डिजिटल मल्टीमीटर एल.सी.आर. ब्रिज फर्नीचर आदि	प्लास्टिक या कार्ड बोर्ड के फार्मर –इनमेल्ड कॉपर वायर फ़ैरोमैग्नेटिक मेटेरियल इन्सूलेटिंग मेटेरियल पी.वी.सी.या मेटल के खोल
14	टी.वी. बूस्टर्स का निर्माण	क्वाइल वाईडिंग मशीन बैंच ड्रिल मशीन रिसीवर टी.वी. पैटर्न जेनरेटर –कैथेड–रे ओसिलोस्कोप–डिजीटल मल्टीमीटर साधारण	ट्रांजिस्टर्स –केपेसिटर्स रेजिस्टर्स पी.सी.बी. ट्रांसफार्मर –कनेक्टिंग डोरी डायोड–एम्पलीफायर

		मल्टीमीटर हैंड टूल्स	
15	कान्सटैंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर	ओसिलोस्कोप – सिग्नल जेनरेटर डिजिटल मल्टीमीटर ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडर	फेरिट मेटेरियल व कोर एनेमलड कॉपर वायर इन्सुलेटिंग पेपर वार्निश काम्प्रेसर-केपेसिटर्स हार्डवेयर सामान
16	संगीत युक्त बधाई कार्ड एवं आमंत्रण पत्र	सिग्नल जेनरेटर-मल्टीमीटर आयरन सोल्डरिंग-लैन्स स्कू ड्राइवर –अन्य उपकरण	आई.सी.चिप्स –पी.सी. बी. मिनी फिल्म -रेजिस्टर्स एवं मिनिचर स्पीकर मिनिचर ववाइल प्रीसेट पोटेन्शियॉ मीटर
17	विद्युत कार्टीज फ्यूज (ग्लास फ्यूज)	पलाई प्रैस नं.4 सोल्डर गन एवं अन्य उपकरण मल्टी मीटर, डाइज परीक्षण उपकरण	ग्लास ट्यूब ब्रास/कॉपर फ्यूज वायर सोल्डर मैटल
18	फ्लोरोसेन्ट ट्यूब लाईट /चोक /ब्लास्ट	सेमी ऑटोमैटिक क्वाइल वाइडिंग मशीन , ट्रेडल शीयरिंग मशीन –ड्राइंग ओवन अन्य औजार तथा डाइयां गुणवत्ता परीक्षण उपकरण	सुपर एनामेलड एल्युमिनियम वायर-लेमीनेशन फिल्म चोक बॉक्स-इन्सुलेटिव वार्निश पोलिएस्टर कम्पाउण्ड कनेक्टर एवं हार्डवेयर पैकिंग वस्तुएं
19	इलैक्ट्रॉनिक डिस्पले सिस्टम	इलैक्ट्रॉनिक डिस्पले मशीन फर्नीचर आदि	सेवा कार्य
20	इमरजेन्सी लाइट का	ड्रिलिंग मशीन-सोल्डरिंग राड स्प्रे पेंटिंग कम्प्रेसर	फेराइट कोर-हाई फ्रीक्वेन्सी पॉवर

	निर्माण	तथा गन मल्टीमीटर -विद्युत टेस्टिंग उपकरण	ट्रांजिस्टर 6 वाट मिनिएचर ट्यूब लाइट - कैपेसिटर्स तथा डायोड -पी.सी.बी. अन्य हार्डवेयर
21	रीचार्जएबल टॉर्च निर्माण की इकाई	क्वॉइल वाईडिंग मशीन बैटरी चार्जर,सोल्डरिंग आयरन, वोल्ट मीटर,मल्टीमीटर अन्य विद्युत उपकरण व औजार	ट्रांसफार्मर कोर,कॉपर वायर क्लैम्प, बॉबिन, इलैक्ट्रोलाइट एसिड,रिपलैक्टर, स्विच, बैटरी एक्युमलेटर,बल्ब चार्जिंग पिन,हुक वायर्स, डायोड वायर्स, कैबिनेर आदि
22	कम्प्यूटर सेंटर की इकाई	पी.सी. कम्प्यूटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, स्टेबलाइजर, साफ्टवेयर	कम्प्यूटर स्टेशनरी, फ्लॉपी रिबन कैसेट व अन्य
23	एस.एम.पी.एस के निर्माण की इकाई	ओसिलोस्कोप, डिजीटल मल्टीमीटर,एनालॉग,एल. सी मीटर, सोल्डरिंग आयरन,	पी.सी.बी.आई.सी.डायोड रेजिस्टरर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांसफार्मरर्स
24	डिश एन्टीना निर्माण की इकाई	ओसिलोस्कोप,ड्रिल मशीन, कटर मशीन, शिकजा, पाइप मोड मशीन,डाई मशीन,अन्य टूल्स	चौश्म पाइप नैटिंग रोल एल्युमिनियम रिप, रेसिस्टेंस, कन्डेंसर, डायोड, पी,एफ आदि
25	लॉलिक प्रोब्स का निर्माण	बेंच ड्रिलिंग मशीन-पोर्टेबल	प्लास्टिक बॉडी तथा कम्पोनेन्टस ए.बी.एस.

		ग्राइंडर-डिजीटल मल्टीमीटर आई.सी. टेस्टर ए.सी. माइक्रोवोल्ट मीटर-सोल्डरिंग आयरन अन्य उपकरण	बॉडी
--	--	---	------

## पशुपालन के क्षेत्र से संबंधित इकाइयां

क्रं.	इकाई का विवरण	प्रमुख मशीन व उपकरण	प्रमुख कच्चा माल
1	मुर्गीपालन की इकाई	जालीटाट आदि—पानी की टंकी, पाइपें, ब्रूडर्स लेयर बर्डस हेतु केज—कूलर—बल्ब / हीटर्स अंडा ट्रे—अन्य उपकरण	चूजे दवाईया मुर्गीदाना
2	डेयरी फार्मिंग की इकाई	भैसैं—दूध के कैन बाल्टियां बाड़े का निर्माण अन्य उपकरण	भूसा—पशु आहार दवाईयां आदि
3	बकरी पालन की इकाई	मादा तथा नर बकरियां मिल्क कैन, चारा पात्र अन्य उपकरण	चारा (सामान्य तथा पौष्टिक) दवाईयां
4	सुअर पालन	सुअर के बच्चे बाड़े का निर्माण पानी की व्यवस्था	पौष्टिक भोजन दवाईया आदि
5	मछली पालन की इकाई	तालाब — ट्यूब वैल तथा पंपसैट, नालियां जाल	चावल की भूसी भोजन —घास
6	ऊन प्राप्ति हेतु खरगोश पालन	केज — कच्चा हाऊसिंग फीडर/वाटर खरगोश के बच्चे	भोजन घास दवाईया अन्य खर्च
7	बटेर पालन	भवन —बैट्री ब्रूडर पानी तथा अहार के पात्र	चूजे— आहार आदि

## विविध उद्योग / इकाइयां

क्रं.	इकाई का विवरण	प्रमुख मशीन व उपकरण	प्रमुख कच्चा माल
1	गते के डिब्बे बनाना	रोटरी क्रीजिंग मशीन बोर्ड मशीन 32 डाईया-वायर स्टिचिंग मशीन अन्य उपकरण	गत्ता / बोर्ड डुपलैक्स ग्रे बोर्ड-सफेद कागज / रंगीन कागज लेबल कंज्यूमेबल्स
2	जूट के बोरे बारदाना निर्माण	हीराकल जूट बैग्स स्टिचिंग मशीन, जूट बैग्स ओवर एजिंग मशीन - हेसियन क्लॉथ कंटिंग मशीन - अन्य उपकरण	हेसियन क्लॉथ सूतली प्रिंटिंग इंक
3	स्टेशनरी वस्तुओं अभ्यास पुस्तिका / रजिस्टर्स का निर्माण	डिस्क रूलिंग मशीन 36 इंच साइज पेपर कटिंग मशीन 32 इंच साइज स्टिचिंग मशीन-परपफोरेटिंग मशीन - दाब प्रैस हस्त औजार	सफेद, क्रीम वोव कागज एवं - गें बोर्ड शीट्स प्रिंटिंग इंक - लेबल / कवर शीट्स / वाईडिंग क्लॉथ, धागा, स्टिचिंग वायर
4	बैडमिन्टन के लिये शटल कॉक	हैंड प्रेस हैंड ड्रिल जिग्स-लकड़ी का बोर्ड ड्रम, ट्रे, कैंचिया ब्रश, कंधे-अन्य उपकरण	बॉटम कार्क, मुर्गी के पंख - लेदर टोपियां साबुन, नील, धागा, रिबन, पैकिंग बाक्सेज
5	बॉल पैन रीफिल बनाना	ट्यूब कटिंग मशीन-हस्तचलित पंचिंग	पौलीप्रापलीन ट्यूब्स रीफिलिंग



		मशीन—हस्तचलित नोजल फिक्सर—विद्युत चलित मोटराइज्ड सैन्ट्रीफ्यूग मशीन, अर्ध —स्वचलित एम्बासिंग मशीन	इंक—नोंजल्स, पैकिंग बाक्सेज
6	पेंट ब्रश	ड्राईंग ओवन—पॉलिशिंग मशीन ब्रिस्टल फाइबर—उपकरण	ब्रिस्टल फाइबर—वुडन हैंडल सोल्युशन, पेंट वार्निश आदि
7	लिफाफे बनाने की इकाई	पेपरकटिंग मशीन एन्वैलप मेकिंग मशीन, डाइयां हैड टूल्स	मैपलिथो पेपर क्राफ्ट पेपर—रददी पेपर गोंद,लेंई आदि
8	ऑटोमोबाइल बैटरी एसेम्बलिंग की इकाई <sup>12</sup>	गैस वेल्डिंग सैट बैटरी चार्जर—बैटरी मल्टीमीटर हाईड्रोमीटर —बैटरी स्टेण्ड डाई प्लेट स्टेण्ड —अन्य औजार	जिंक प्लेट निगेटिव—एवं पाजिटीव पी.वी.सी. सैपरेटर टॉप कवर्स—बैटरी एसिड कन्टेन्स —बैटरी कम्पाऊण्ड सीसा
9	लकड़ी का फर्नीचर	आटोमैटिक वुड वर्किंग मशीन सरफेस व थिकनेस प्लानर, सर्कुलर—सॉ ड्रिलिंग एवं ग्राइडिंग एटेचमेंट सहित सहायक जैसे हैक्सा, बेंच वाइस, हथौड़ी	इमारती लकड़ी—प्लाई सनमाईका —कांच —फैवीकाल
10	लकड़ी की	खराद मशीन वुड कार्विंग	लकड़ी —पॉलिश

	कलात्मक मूर्तिया	मशीनें—हस्त औजार,	—रेतमाल
11	कैरम बोर्ड एवं ब्लैक बोर्ड	औजार 4 सेट कार्यालयीन फर्नीचर तथा उपकरण	प्लाईवुड 3—4 मि.मी. पेंट, वार्निश —रेत माल कागज, कील
12	आटा छानने की छन्नी	हैंड फ्लार्ई प्रैस— रोटरी बंडिंग मशीन—ब्लॉक —6,7 तथा 8 नंबर रोलर —सहायक उपकरण	टिन कटिंग्स —वायर मैश 40 व 24 मैश साइज की रिबट तथा अन्य सामग्री
13	लैंस ग्राइंडिंग की इकाई	हस्तचलित ग्राइंडिंग तथा पॉलिशिंग मशीन स्पिंडल सिलेंड्रिकल टूल्स टैस्टिंग उपकरण —लैंसोमीटर	ऑप्टिक रफ ग्लास ब्लैक्स घिसाई एवं पॉलिशिंग मेटेरियल
14	दोना —पत्तल निर्माण की इकाई	दोना पत्तल मशीन	पलाश, साल, धाक आदि के पत्ते
15	मोमबत्ती निर्माण की इकाई	कोयला / लकड़ी की भट्टी —सांचे अन्य उपकरण	पैराफीन मोम स्टीयरिक एसिड रंग, बत्तियां
16	पेपर प्लेट्स तथा आईसक्रीम के कम बनाने की इकाई	पेपर कटिंग मशीन फ्लार्ई प्रैस, वैक्स—कटिंग मशीन—डाइया	कागज—मिल बोर्ड कार्ड शीट्स / ग्रे बोर्ड शीट्स क्राफ्ट पेपर शीट्स पैराफीन मोम
17	फाईल कवर्स का निर्माण	पेपर कटिंग मशीन रोटरी क्रीजिंग मशीन राऊण्ड कार्नरिंग तथा पंचिंग मशीन —फाइल मास्टर	पल्प बोर्ड / ट्रिपलैक्स बोर्ड ग्रे बोर्ड, आईलैट्स अन्य कंज्यूमेबल्स

व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र की कुछ प्रमुख इकाइयां/उत्पाद

क्रं.	इकाई का विवरण	प्रमुख मशीन व उपकरण	प्रमुख कच्चा माल
1	स्क्रीन प्रिंटिंग की इकाई	लकड़ी के फ्रेम –स्क्रीन एक्सपोजिंग बॉक्स पेस्टिंग टेबल –कैमरा एनलार्जर	स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए विशेष फिल्म – प्लास्टिक रंग एवं कैमिकल्स लकड़ी के रैक्स –ट्रे-ड्रायर
2	महिलाओं के लिए ब्यूटी पॉलर इकाई	हार्डड्रोज़ायर –आजोन मशीन मसाज मशीन ड्रायर्स,आईना –ड्रेसिंग टेबिल रिवाल्विंग कुसियां	कॉस्मेटिक्स तथा अन्य कच्चा माल
3	फोटो कॉपी की इकाई	फोटो कॉपियर ए-3 साइज के लिए उपयुक्त रिडक्शन एनलार्जमेंट की सुविधा	कागज टोनर
4	दुपहिया वाहनों की सर्विसिंग / रीपेयिंग	एयर काम्प्रेसर सर्विस मशीन/प्रेसर मशीन –वाटर पम्प	गियर आइल लुब्रीकेटिंग ग्रीस

## प्लास्टिक तथा चर्मोद्योग के क्षेत्र से संबंधित इकाईयाँ

क्रं.	इकाई का विवरण	प्रमुख मशीन व उपकरण	प्रमुख कच्चा माल
1	प्लास्टिक स्टिकर्स बनाने की इकाई	प्रोसैसिंग कैमरा वेक्यूम फ्लैटस बैड वर्किंग टेबल-रैक्स एक्सपोजिंग चैम्बर स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन रोलर्स,स्कवीजी, आदि	पी.वी.सी.शीट्स स्टिकर एडीसिव प्रिंटिंग इंक कैमीकल्स तथा बोलिंटग क्लॉथ पौलीथीन शीट्स
2	सफेद कृषि पाइप	एल.डी.पी.ई. स्पेशल एक्सटूडर पाइप के लिये हैंड टूल्स	एल.डी.पी.ई.-ग्रेनअल्स पैकिंग सामग्री
3	45 ग्राम वजन तक की इंजेक्शन मोल्डेड वस्तुएं जैसे गुठके,सोपकेस, बॉटल कैप्स,नल की टोंटियां आदि	न्यूमेटिकली ऑपरेटेड इंजेक्शन मोलिंडग मशीन सेमी-ऑटोमैटिक, प्लंगर टाइप -डाइयां टूल्स आदि	पौलीथीन दाने कलर -कंज्यूमेबल्स
4	एल.डी.पी.ई. के पौलीथिन बैग्स	स्पेशल एल.डी.पी.ई. एक्सटूडर - कटिंग एण्ड सीलिंग मशीन	एल.टी.पी.ई.के ग्रेनअल्स-कलर पैकिंग मैटेरियल
5	एकीलिक शीट के बटन निर्माण	शीट कटिंग मशीन ड्रिलिंग मशीन होल मास्टर ग्राइडिंग मशीन	एकीलिक शीट्स
6	हवाई चप्पल का	रबर शीट काटने की	माइक्रो शीट्स - स्ट्रैप

	निर्माण	मशीन डाइयां –स्ट्रेप फिट करने की मशीन	
7	पौलीथीन थैली बनाना	पौलीथीन की कटिंग एंड सीलिंग मशीन	पौलीथीन रोल्स फिल्म
8	प्लास्टिक के डिब्बे / जैरीकेन बनाने की इकाई	ब्लो-मोल्डिंग मशीन काम्प्रैसर-डाइयां	एच.डी.पी.ई.दाने एल.डी. ई.दाने
9	100 ग्राम तक के विभिन्न प्लास्टिक उत्पाद जैसे-स्कूट / मोटर साईकिल के इंडीकेटर्स, कंधी, छोटे खिलोने, बालपैन, / फाऊंटेन पेन छोटे कन्टेनर, ग्राइंडर / मिक्सी / पंप के पार्ट्स आदि	वर्तिकल अथवा हॉरजॉंटल प्लास्टिक डाइयां - अन्य सामान्य उपकरण	विभिन्न प्लास्टिक मेटैरियल के ग्रेनुअल्स जैस-क्रिस्टल, पी.वी.सी. आदि
10	वाणिज्यक उपयोग हेतु किताबों, कापियों, डिब्बों, पहचान पत्रों, आदि पर लेमीनेशन करने की इकाई	रोल-टू-रोल डाकुमेंट लेमीनेटर	लेमीनेट फिल्म डांकुमेंट / किताबों / डिब्बे / पहचान पत्र जिस पर लेमीनेशन करना हो
11	बिजली के स्विच, प्लग सॉकेट, प्लग	कम्प्रेसन मोल्डिंग मशीन, ड्रिलिंग	मोल्डिंग पावडर यूरिया फार्मेलडीहाइड,

	पिन तथा होल्डर्स बनाने की इकाई	मशीन—डाइयॉ वफिंग मशीन	बैकेलाइट —पीतल के स्कू नट, टर्मिनल
12	प्लास्टिक फोल्डर्स, बैंकों की पास—बुकें, आईडेंटि टी कार्डस के कवर्स बनाने की इकाई	हाई—फ्रीक्वेंसी प्लास्टिक वेल्डिंग मशीन, डाइयां हस्त औजार	पी.पी. शीट्स पी.वी.शीट्स
13	पी.वी.सी. कोटेड वायर्स एवं केबल्स बनाने की इकाई	वायर केबल कोटिंग प्लांट अन्य उपकरण	एल्युमीनियम वायर कॉपर वायर पी.वी.सी. ग्रेनअल्स
14	प्लास्टिक का दाना बनाने की इकाई	एक्सटूडर ग्राइंडर अन्य उपकरण	विभिन्न प्रकार का प्लास्टिक वेस्ट/स्क्रेम जैसे—एल.डी.पी.ई.एच. डी.पी.ई./पी.वी.सी., आदि
15	चमड़े के पर्स तथा हैंड बैग	सिलाइ मशीन फुट आपरेटेड—स्टेम्पिंग मशीन, स्कीविंग मशीन—अन्य उपकरण तथा हस्त औजार	चमड़ा—धागा बटन—जिप
16	कलाई घड़ियों के फीते	हाई स्पीड सिलाई मशीन, छपाई मशीन अन्य मशीनें तथा उपकरण	क्रोम अपर लैदर धागा तथा अन्य वस्तुयें
17	चमड़े की वेस्ट बैल्ट	स्ट्रेप कंटिंग मशीन अन्य उपकरण तथा	लैदर बक्कल अन्य

		औजार	
18	महिलाओं के लिए चमड़े के हैण्डबैग	फ्लैट बैड सिलाई मशीन सिलेन्डर बैड मशीन औजार तथा अन्य उपकरण	लैदर सिल्क लाइनिंग जिप-सुतली सोल्यूशन, बटन आदि
19	रेग्जीन/फोम लैदर के सीट कवर्स तथा स्कूली बस्ते	अहहोल्स्ट्री सुईंग मशीन, इंडस्ट्रीयल सुईंग मशीन, अन्य सहायक उपकरण	फोम लैदर रेग्जीन यू-फोम/रबर शीट्स अस्तर/डैकोरेटिव टेप्स

# उद्यमिता विकास कार्यक्रम

## उद्देश्य :-

उद्यमिता विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसी उद्यम को स्थापित करने, उसका प्रबंध करने और उसे दीर्घकाल तक सफलता पूर्वक चलाने के लिये लाभार्थियों को प्रोत्साहित और अभिप्रेरित करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना है;

- 1) उद्यमिता की अवधारणा उसकी चुनौतियों और संभावनाओं की जानकारी देना।
- 2) संभावित उद्यमियों के भीतर उद्यमिता, सक्षमता अर्थात् उपलब्धियों को प्रेरणा, जोखिम उठाने की क्षमता, आत्मविश्वास, लक्ष्य तय करने की क्षमता विकसित करना।
- 3) उद्यम / व्यवसाय की स्थापना से संबंधित कार्य विधियों और औपचारिकताओं की जानकारी देना।
- 4) वित्त और विपणन सहित इकाई / व्यवसाय स्थापना से संबंधित प्रबंध कौशल विकसित करना।
- 5) व्यवसाय के अवसर को पहचानने और व्यवसाय की योजना तैयार करने के बारे में जानकारी देना।



# दस-दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

## विषय-वस्तु

- उद्यमी कैसे बने - : आगे की चुनौती
- उद्यमिता के लिये आवश्यक क्षमताएं,
- उपलब्धी की अभिप्रेरणा
- प्रभावी सम्प्रेषण कला
- आत्म-विश्वास का विकास ।
- व्यवसाय के अवसर को पहचानना
- व्यवसाय की योजना तैयार करना ।
- समस्याओं की समाधान निकालने की क्षमता विकसित करना
- सफल व्यवसाय के लिए प्रभावित करने वाले परक्रामण (Negotiation Skills) का महत्व
- बैंक द्वारा इकाई को वित्त प्रदान करने की प्रक्रिया,विधि
- बैंक ऋण के संबंध में अन्य पहलूओं से परिचित करवाना
- उत्पाद का विपणन तथा बाजार सर्वेक्षण
- लेखा के मुख्य तत्व
- लेखा के संबंधी आधारभूत जानकारी
- उद्यमी द्वारा पालन किये जाने वाले सरकारी नियम और विनियम
- उद्यम का विस्तार विकास, और स्थायित्व

# तीन-दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

## विषय-वस्तु

- स्वरोजगार ही क्यों ?
- उद्यमी कैसे बने - : आगे की चुनौती
- उद्यमिता के लिये आवश्यक क्षमताएं
- उपलब्धी की अभिप्रेरणा
- प्रभावी सम्प्रेषण कला
- आत्म-विश्वास का विकास
- व्यवसाय के अवसर को पहचानना
- व्यवसाय की योजना तैयार करना ।
- बैंक द्वारा इकाई को वित्त प्रदान करने की प्रक्रिया-विधि
- उद्यमी द्वारा पालन किये जाने वाले सरकारी नियम और विनियम

# स्वरोजगार ही क्यों ?

- उद्यमी सर्वाधिक पुण्य का काम करता है ।
- व्यवसाय में रिटायरमेंट का भय नहीं ।
- उद्यमी अपना मालिक स्वयं होता है ।
- राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं ।
- व्यवसायी को अपनी अगली पीढ़ी के रोजगार की चिंता नहीं रहती ।
- नौकरी में कुछ खास कर दिखाने की प्रवृत्ति पर हर कदम पर कुठाराघात होते हैं ।
- जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे का सिद्धांत अपने व्यवसाय के संदर्भ में ज्यादा लागू होता है ।
- नौकरी में अनुभव तथा संबंधों का ज्यादा लाभ अगली पीढ़ी को नहीं मिल पाता जबकी अपना व्यवसाय रिले-दौड़ की तरह होता है ।
- बाहरी दखलांदाजी और नौकरी ?
- सकल राष्ट्रीय उत्पादन में उद्यमियों का योगदान महत्वपूर्ण होता है ।
- उद्यमी विकास की पूरी धारा अपने साथ में लाता है ।
- आजकल नौकरी मिलती कहाँ है ?

# सफल उद्यमी के गुण

- उपलब्धि की चाह रखना।
- नपा-तुला जोखिम उठाना।
- अपने बारे में सकारात्मक रवैया रखना।
- पहल करने वाला या स्वयं प्रयास करने वाला और स्वतंत्र विचार रखने वाला।
- समस्याओं का समाधान करने वाला।
- भविष्य के प्रति आशावान होना।
- वातावरण को विषलेषित करने की इच्छा रखना।
- लक्ष्य निर्धारित करना एवं समयबंध रूप से कार्य करना।
- अवसरों को देखना या अनुमान लगाना और उन पर कार्य करना।
- प्रयासरत रहना।
- सूचनाओं को एकत्रित करने की चाहे।
- अपनी बात स्वीकार करवाना।
- प्रभावी नितियों का उपयोग करना।
- निश्चयात्मक ढंग से कहना।
- अनुसरण (मॉनिटरिंग) करना।
- कर्मचारियों की भलाई के बारे में प्रयास करना।

## प्रभावी संप्रेषण कला कैसे विकसित करें

लोग संप्रेषण की आवश्यकता को समझते हैं ,पर संप्रेषण उनके लिए कठिन होता है, शब्द उपयुक्त प्रतीत हो सकते हैं, पर होते नहीं हैं, कई प्रकार की बाधाएँ संप्रेषण और संप्रेषण प्राप्त करनेवाले के बीच होती हैं ,जब तक इन बाधाओं को दूर नहीं किया जाए सदेश या तो विकृत हो जाते हैं, या अधूरे ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं।

- ☞ संप्रेषण में बाधाएं क्या हैं ?
- ☞ विराधाभाषी सूचना को नजर अदांज करना।
- ☞ संप्रेषण के बारे में दृष्टिकोण ।
- ☞ समूह का प्रभाव ।
- ☞ भिन्न व्यक्ति के लिए भिन्न शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं।
- ☞ शब्द रहित संप्रेषण ।
- ☞ भावनाएं ।
- ☞ शोर-शराबा।
- ☞ संगठन का आकार ।

### ● संप्रेषण की बाधाओं को दूर कैसे किया जाए ?

- ☞ प्राप्तकर्ता का दुनिया से सामंजस्य स्थापित करना ।
- ☞ जानकारियों का उपयोग करें ।
- ☞ संप्रेषण का उपयोग आमने-सामने करें ।
- ☞ पुनः प्रेषित करें ।
- ☞ सीधी-सादी भाषा का प्रयोग करें ।
- ☞ अपने हाव-भाव, शब्दों से मेल खाते हुए रखें ।
- ☞ विभिन्न चैनलों का प्रयोग करें।
- ☞ संगठन के आकार की समस्या को कम करें ।

# अपने जीवन की कार्य-योजना बनाएं

- ☞ में जीवन में कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूँ।
- ☞ इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, में कौन-कौन से प्रयास कर रहा हूँ ।
- ☞ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन-कौन से व्यक्ति /संस्थाए मदद करेंगी।
- ☞ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन-कौन से व्यक्ति व संस्थाएं नुकसान पहुंचाएगी ।
- ☞ यदि में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ तो कैसा महसूस करूंगा।
- ☞ यदि में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हुआ तो कैसा महसूस करूंगा।
- ☞ अपने बारे में समीक्षात्मक टिप्पणी ।

CREDIT GUARANTEE FUND SCHEME FOR  
MICRO AND SMALL ENTERPRISES  
INDEX

Chapter	Section	Title	Page No(s)
I		INTRODUCTION	
	1	Title and date of commencement	1
	2	Definitions	1 - 2
II		SCOPE AND EXTENT OF THE SCHEME	
	3	Guarantees by the Trust	3
	4	Credit facilities eligible under the Scheme	3
	5	Credit facilities not eligible under the Scheme	3 - 4
	6	Agreement to be executed by the lending institution	4
	7	Responsibilities of lending institution under the Scheme	4 - 5
III		GUARANTEE FEE	
	8	Guarantee Fee and Annual Service Fee	6
IV		GUARANTEES	
	9	Extent of the guarantee	7
V		CLAIMS	
	10	Invocation of guarantee	7 - 8
	11	Subrogation of rights and recoveries on account of claims paid	8
VI		MISCELLANEOUS	
	12	Appropriation of amount received from the lending institutions	9
	13	Appropriation of amount realised by the lending agency in respect of a credit facility after the guarantee has been invoked	9
	14	Trust's liability to be terminated in certain cases	9 - 10
	15	Returns and Inspections	10
	16	Conditions imposed under the Scheme to be binding on the lending institution	10
	17	Modifications and exemptions	10 - 11
	18	Interpretation	11
	19	Supplementary and general provisions	11

# CREDIT GUARANTEE FUND SCHEME FOR

## MICRO AND SMALL ENTERPRISES

### CHAPTER I

#### INTRODUCTION

The Board of Trustees of Credit Guarantee Fund Trust for Small Industries, having decided to frame a Scheme for the purpose of providing guarantees to a substantial extent in respect of credit facilities to borrowers in Micro and Small Enterprises, hereby make the following Scheme:

1. Title and date of commencement
  - (i) The Scheme shall be known as the Credit Guarantee Fund Scheme for Small Industries (CGFSI)
  - (ii) It shall come into force from August 1, 2000.
  - (iii) It shall cover eligible credit facility extended by the lending institutions to eligible borrowers effective June 1, 2000.

Subsequent to the enactment of MSMED Act-2006 the Trust was renamed as Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises and scheme as Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises.

2. Definitions  
For the purposes of this Scheme -
  - (i) "Amount in Default" means the principal and interest amount outstanding in the account(s) of the borrower in respect of term loan and amount of outstanding working capital facilities (including interest), as on the date of the account becoming NPA, or the date of lodgment of claim application whichever is lower or such of the date as may be specified by CGTMSE for preferring any claim against the guarantee cover subject to a maximum of amount Guaranteed.
  - (ii) "Collateral security" means the security provided in addition to the primary security, in connection with the credit facility extended by a lending institution to a borrower.
  - (iii) "Credit facility" means any financial assistance by way of term loan and / or fund based and non-fund based working capital (e.g. Bank Guarantee, Letter of credit etc) facilities extended by the lending institution to the eligible borrower. For the purpose of calculation of guarantee fee, the "credit facility extended" shall mean the amount of financial assistance committed by the lending institution to the borrower, whether disbursed or not. For the purpose of the calculation of service fee, the credit facility extended shall mean the credit facilities (both fund and non-fund based) covered under CGS and for which guarantee fee has been paid, as at March 31, of the relevant year.
  - (iv) "Eligible borrower" means new or existing Micro and Small Enterprises to which credit facility has been provided by the lending institution without any collateral security and/or third party guarantees.
  - (v) 'Guarantee Cover' means maximum cover available per eligible borrower of the amount in default in respect of the credit facility extended by the lending institution.
  - (vi) "Lending institution(s)" means a commercial bank for the time being included in the second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regional Rural Banks as may be specified by the Trust from time to time, or any other institution (s) as may be directed by the Govt. of India from time to time. The Trust may, on review of performance, remove any of the lending institution from the list of eligible institution.
  - (vii) "Material date" means the date on which the guarantee fee on the amount covered in respect of eligible borrower becomes payable by the eligible institution to the Trust.



(viii) "Non Performing Assets" means an asset classified as a non-performing based on the instructions and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time.

(ix) "Primary security" in respect of a credit facility shall mean the assets created out of the credit facility so extended and/or existing unencumbered assets which are directly associated with the project or business for which the credit facility has been extended.

(x) "Prime Lending Rate" for a lending institution means the rate so declared by that lending institution for the relevant time period / duration for which the credit facility has been extended.

(xi) "Scheme" means the Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises

(xii) "SIDBI" means the Small Industries Development Bank of India, established under Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989).

(xiii) 'Micro and Small Enterprises' As per the MSMED Act, 2006 an "enterprise" means an industrial undertaking or a business concern or any other establishment, by whatever name called, engaged in the manufacture or production of goods, in any manner, pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or engaged in providing or rendering of any service or services; and "Micro and Small Enterprises" are defined in 7.1.a.i) and ii) & in 7.1.b.i) and ii) of the said Act .

(xiv) "Tenure of guarantee cover" means the maximum period of guarantee cover from Guarantee start date which shall run through the agreed tenure of the term credit and for a period of 5 years or block of a 5 years where working capital facilities alone are extended or loan termination date, whichever ever is earlier or such period as may be specified by the Trust.

(xv) "Trust" means the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises set up by Government of India and SIDBI with the purpose of guaranteeing credit facility (ies), extended by the lending institution(s) to the eligible borrowers.

## CHAPTER II

### SCOPE AND EXTENT OF THE SCHEME

#### 3. Guarantees by the Trust

(i.) Subject to the other provisions of the Scheme, the Trust undertakes, in relation to credit facilities extended to an eligible borrower from time to time by an eligible institution which has entered into the necessary agreement for this purpose with the Trust, to provide a guarantee on account of the said credit facilities.

(ii.) The Trust reserves the discretion to accept or reject any proposal referred by the lending institution which otherwise satisfies the norms of the Scheme.

#### 4. Credit facilities eligible under the Scheme:

The Trust shall cover credit facilities (Fund based and/or Non fund based) extended by Member Lending Institution(s) to a single eligible borrower in the Micro and Small Enterprises sector for credit facility (i) not exceeding Rs. 50 lakh (Regional Rural Banks/Financial Institutions) and (ii) not exceeding Rs.100 lakh (Scheduled Commercial Banks and select Financial Institutions) by way of term loan and/or working capital facilities on or after entering into an agreement with the Trust, without any collateral security and/or third party guarantees or such amount as may be decided by the Trust from time to time.

Provided that the lending institution applies for guarantee cover in respect of credit proposals sanctioned in the quarter April-June, July-September, October-December and January-March prior to expiry of the following quarter viz. July-September, October-December, January-March and April-June respectively

Provided further that, as on the material date

(i) The dues to the lending institution have not become bad or doubtful of recovery; and / or

(ii) The business or activity of the borrower for which the credit facility was granted has not ceased; and / or

(iii) The credit facility has not wholly or partly been utilised for adjustment of any debts deemed bad or doubtful of recovery, without obtaining a prior consent in this regard from the Trust.

Credit facilities extended by more than one bank and/or financial institution jointly and/or separately to eligible borrower upto a maximum upto Rs.100 lakh per borrower subject to ceiling amount of individual MLI or such amount as may be specified by the Trust.

#### 5. Credit facilities not eligible under the Scheme

The following credit facilities shall not be eligible for being guaranteed under the Scheme: -

(i) Any credit facility in respect of which risks are additionally covered under a scheme operated / administered by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation or the Reserve Bank of India, to the extent they are so covered.

(ii) Any credit facility in respect of which risks are additionally covered by Government or by any general insurer or any other person or association of persons carrying on the business of insurance, guarantee or indemnity, to the extent they are so covered.

(iii) Any credit facility, which does not conform to, or is in any way inconsistent with, the provisions of any law, or with any directives or instructions issued by the Central Government or the Reserve Bank of India, which may, for the time being, be in force.

(iv) Any credit facility granted to any borrower, who has availed himself of any other credit facility covered under this scheme or under the schemes mentioned in

clause (i), (ii) and (iii) above, and where the lending institution has invoked the guarantee provided by the Trust or under the schemes mentioned in clause (i), (ii) and (iii) above, but has not repaid any portion of the amount due to the Trust or under the schemes mentioned in clause (i), (ii) and (iii) above, as the case may be, by reason of any default on the part of the borrower in respect of that credit facility.

(v) Any credit facility which has been sanctioned by the lending institution against collateral security and / or third party guarantee.

(vi) Any credit facility which has been sanctioned by the lending institution with interest rate more than 3% over the Prime Lending Rate (PLR) of the lending institution.

6. Agreement to be executed by the lending institution

A lending institution shall not be entitled to a guarantee in respect of any eligible credit facility granted by it unless it has entered into an agreement with the Trust in such form as may be required by the Trust for covering by way of guarantee, under the Scheme all the eligible credit facilities granted by the lending institution, for which provision has been made in the Scheme.

7. Responsibilities of lending institution under the scheme:

(i) The lending institution shall evaluate credit applications by using prudent banking judgement and shall use their business discretion / due diligence in selecting commercially viable proposals and conduct the account(s) of the borrowers with normal banking prudence.

(ii) The lending institution shall closely monitor the borrower account.

(iii) The lending institution shall safeguard the primary securities taken from the borrower in respect of the credit facility in good and enforceable condition.

(iv) The lending institution shall ensure that the guarantee claim in respect of the credit facility and borrower is lodged with the Trust in the form and in the manner and within such time as may be specified by the Trust in this behalf and that there shall not be any delay on its part to notify the default in the borrowers account which shall result in the Trust facing higher guarantee claims.

(v) The payment of guarantee claim by the Trust to the lending institution does not in any way take away the responsibility of the lending institution to recover the entire outstanding amount of the credit from the borrower. The lending institution shall exercise all the necessary precautions and maintain its recourse to the borrower for entire amount of credit facility owed by it and initiate such necessary actions for recovery of the outstanding amount, including such action as may be advised by the Trust.

(vi) The lending institution shall comply with such directions as may be issued by the Trust, from time to time, for facilitating recoveries in the guaranteed account, or safeguarding its interest as a guarantor, as the Trust may deem fit and the lending institution shall be bound to comply with such directions.

(vii) The lending institution shall, in respect of any guaranteed account, exercise the same diligence in recovering the dues, and safeguarding the interest of the Trust in all the ways open to it as it might have exercised in the normal course if no guarantee had been furnished by the Trust. The lending institution shall, in particular, refrain from any act of omission or commission, either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of the Trust as the guarantor. In particular, the lending institution should intimate the Trust while entering into any compromise or arrangement, which may have effect of discharge or waiver of personal guarantee(s) or security. The lending institution shall also ensure either through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, that it shall not create any charge on the security held in the account covered by the guarantee for the benefit of any account not covered by the guarantee, with itself or in favour of any other creditor(s) without intimating the Trust. Further the lending institution shall secure for the Trust or its appointed agency, through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, the right to list the defaulted borrowers' names and particulars on the Website of the Trust

## CHAPTER III

### GUARANTEE FEE

#### 8. Guarantee Fee and Annual Service Fee

(i) One-time guarantee fee at specified rate ((a)currently 1.00% in the case of credit facility upto Rs. 5 Lakh and 1.5% in the case of credit facility above Rs. 5 Lakh (b) 0.75%, in case of credit facilities upto Rs.50 lakh sanctioned to units in North Eastern Region including State of Sikkim) of the credit facility sanctioned (comprising term loan and / or working capital facility) shall be paid upfront to the Trust by the institution availing of the guarantee within 30 days from the date of first disbursement of credit facility (not applicable for Working capital) or 30 days from the date of Demand Advice (CGDAN) of guarantee fee whichever is later *or such date as specified by the Trust.*

(ii) The annual service fee at specified rate (currently 0.50% in the case of credit facility upto Rs. 5 Lakh and 0.75% in the case of credit facility above Rs. 5 Lakh) *on pro-rata basis for the first and last year and in full for the intervening years* on the credit facility sanctioned (comprising term loan and / or working capital facility) shall be paid by the lending institution within 60 days ie. on or before May 31, of every year. In the event of non-payment of annual service fee by May 31 of that year or any other specified date, the guarantee under the scheme shall not be available to the lending institution unless the Trust agrees for continuance of guarantee and the lending institution pays penal interest on the service fee due and unpaid, with effect from the subsequent June 01, at four per cent over Bank Rate, per annum, or at such rates specified by the Trust from time to time, for the period of delay.

- Provided further that in the event of non-payment of annual service fee within the stipulated time or such extended time that may be agreed to by the Trust on such terms, liability of the Trust to guarantee such credit facility would lapse in respect of those credit facility against which the service charges are due and not paid,
- Provided further that, the Trust may consider renewal of guarantee cover for such of the credit facility upon such terms and conditions as the Trust may decide.
- In the event of any error or discrepancy or shortfall being found in the computation of the amounts or in the calculation of the guarantee fee / annual service fee, such deficiency / shortfall shall be paid by the eligible lending institution to the Trust together with interest on such amount at a rate of four per cent over and above the Bank Rate, or as may be prescribed by the Trust from time to time. Any amount found to have been paid in excess would be refunded by the Trust. In the event of any representation made by the lending institution in this regard, the Trust shall take a decision based on the available information with it and the clarifications received from the lending institution, and its decision shall be final and binding on the lending institution.

(iii) The amount equivalent to the guarantee fee and / or the service fee payable by the eligible lending institution may be recovered by it, at its discretion from the eligible borrower.

The guarantee fee and / or annual service fee once paid by the lending institution to the Trust is non-refundable. Guarantee fee / Annual Service Fee, shall not be refunded, except under certain circumstances like -

- (i) Excess remittance,
- (ii) Remittance made more than once against the same credit application,
- (iii) Guarantee fee & / or annual service fee not due,
- (iv) Guarantee fee paid in advance but application not approved for guarantee cover under the scheme, etc.

CHAPTER IV  
GUARANTEES

9. Extent of the guarantee

The Trust shall provide guarantee as under :

Category	Maximum extent of Guarantee where credit facility is		
	Upto Rs.5 lakh	Above Rs.5 lakh upto Rs.50 lakh	Above Rs.50 lakh upto Rs.100 lakh
Micro Enterprises	85% of the amount in default subject to a maximum of Rs.4.25 lakh	75% / Rs.37.50 lakh	Rs.37.50 lakh plus 50% of amount in default above Rs.50 lakh subject to overall ceiling of Rs.62.50 lakh
Women entrepreneurs/ Units located in North East Region (incl. Sikkim) other than credit facility upto Rs.5 lakh to micro enterprises	80% of the amount in default subject to a maximum of Rs.40 lakh		Rs.40 lakh plus 50% of amount in default above Rs.50 lakh subject to overall ceiling of Rs.65 lakh
All other category of borrowers	75% / Rs.37.50 lakh		Rs.37.50 lakh plus 50% of amount in default above Rs.50 lakh subject to overall ceiling of Rs.62.50 lakh

All proposals for sanction of guarantee approvals for credit facilities above Rs. 50 lakh and upto Rs.100 lakh will have to be rated internally by the MLI and should be of investment grade. Proposals approved by the MLIs on or after December 8, 2008 will be eligible for the coverage upto Rs.100 lakh.

The guarantee cover will commence from the date of payment of guarantee fee and shall run through the agreed tenure of the term credit in respect of term credit / composite credit. Where working capital alone is extended to the eligible borrower, the guarantee cover shall be for a period of 5 years or a block of 5 years, or for such period as may be specified by the trust in this behalf.

## CHAPTER V

### CLAIMS

#### 10. Invocation of guarantee

- (i) The lending institution may invoke the guarantee in respect of credit facility *within a maximum period of one year from date of NPA, if NPA is after lock-in period or within one year of lock-in period, if NPA is within lock-in period*, if the following conditions are satisfied: -
- a. The guarantee in respect of that credit facility was in force at the time of account turning NPA.
  - b. The lock-in period of 18 months from either the date of last disbursement of the loan to the borrower or the date of payment of the guarantee fee in respect of credit facility to the borrower, whichever is later, has elapsed;
  - c. The amount due and payable to the lending institution in respect of the credit facility has not been paid and the dues have been classified by the lending institution as Non Performing Assets. Provided that the lending institution shall not make or be entitled to make any claim on the Trust in respect of the said credit facility if the loss in respect of the said credit facility had occurred owing to actions / decisions taken contrary to or in contravention of the guidelines issued by the Trust
  - d. The credit facility has been recalled and the recovery proceedings have been initiated under due process of law. Mere issuance of recall notice under SARFAESI Act 2002 cannot be construed as initiation of legal proceedings for purpose of preferment of claim under CGS. MLIs are advised to take further action as contained in Section 13 (4) of the above Act wherein a secured creditor can take recourse to any one or more of the recovery measures out of the four measures indicated therein before submitting claims for first installment of guaranteed amount. In case the MLI is not in a position to take any of the action indicated in Section 13(4) of the aforesaid Act, they may initiate fresh recovery proceeding under any other applicable law and seek the claim for first installment from the Trust.
- (ii) The claim should be preferred by the lending institution in such manner and within such time as may be specified by the Trust in this behalf.
- (iii) The Trust shall pay 75 per cent of the guaranteed amount on preferring of eligible claim by the lending institution, within 30 days, subject to the claim being otherwise found in order and complete in all respects. The Trust shall pay to the lending institution interest on the eligible claim amount at the prevailing Bank Rate for the period of delay beyond 30 days. The balance 25 per cent of the guaranteed amount will be paid on conclusion of recovery proceedings by the lending institution. On a claim being paid, the Trust shall be deemed to have been discharged from all its liabilities on account of the guarantee in force in respect of the borrower concerned.
- (iv) In the event of default the lending institution shall exercise its rights, if any, to takeover the assets of the borrowers and the amount realised, if any, from the sale of such assets or otherwise shall first be credited in full by the lending institutions to the Trust before it claims the remaining 25 per cent of the guaranteed amount.
- (v) The lending institution shall be liable to refund the claim released by the Trust together with penal interest at the rate of 4% above the prevailing Bank Rate, if such a recall is made by the Trust in the event of serious deficiencies having existed in the matter of appraisal / renewal / follow-up / conduct of the credit facility or where lodgement of the claim was more than once or where there existed suppression of any material information on part of the lending institutions for the settlement of claims. The lending institution shall pay such penal interest, when demanded by the Trust, from the date of the initial release of the claim by the Trust to the date of refund of the claim.

The Guarantee Claim received directly from the branches or offices other than respective operating offices of MLIs will not be entertained.

11. Subrogation of rights and recoveries on account of claims paid

(i) The lending institution shall furnish to the Trust, the details of its efforts for recovery, realisations and such other information as may be demanded or required from time to time. The lending institution will hold lien on assets created out of the credit facility extended to the borrower, on its own behalf and on behalf of the Trust. The Trust shall not exercise any subrogation rights and that the responsibility of the recovery of dues including takeover of assets, sale of assets, etc., shall rest with the lending institution;

(ii) In the event of a borrower owing several distinct and separate debts to the lending institution and making payments towards any one or more of the same, whether the account towards which the payment is made is covered by the guarantee of the Trust or not, such payments shall, for the purpose of this clause, be deemed to have been appropriated by the lending institution to the debt covered by the guarantee and in respect of which a claim has been preferred and paid, irrespective of the manner of appropriation indicated by such borrower or the manner in which such payments are actually appropriated.

(iii) Every amount recovered and due to be paid to the Trust shall be paid without delay, and if any amount due to the Trust remains unpaid beyond a period of 30 days from the date on which it was first recovered, interest shall be payable to the Trust by the lending institution at the rate which is 4% above Bank Rate for the period for which payment remains outstanding after the expiry of the said period of 30 days.

CHAPTER VI  
MISCELLANEOUS

12. Appropriation of amount received from the lending institutions

The amount received from the lending institutions shall be appropriated in the order in which the service fee, penal interest and other charges have fallen due. If the service fee and the penal interest have fallen due on the same date, then the appropriation shall be made first towards service fee and then towards the penal interest and finally towards any other charges payable in respect of the eligible credit facility.

13. Appropriation of amount realised by the lending institution in respect of a credit facility after the guarantee has been invoked.

Where subsequent to the Trust having released a sum to the lending institution towards the amount in default in accordance with the provisions contained in the Section 10 of this scheme, the lending institution recovers money subsequent to the recovery proceedings initiated by it, the same shall be deposited by the lending institution with the Trust, after adjusting towards the cost incurred by it for recovery of the amount. The Trust shall appropriate the same first towards the pending service fee, penal interest, and other charges due to the Trust, if any, in respect of the credit facility towards which the amount has been recovered by the lending institution, and the balance, if any, shall be appropriated in such a manner so that losses on account of deficit in recovery of the credit facility between the Trust and the lending institution are in the proportion of 75% / 80% / 85% and 25% / 20% / 15% , respectively.

14. Trust's liability to be terminated in certain cases

(i) If the liabilities of a borrower to the lending institution on account of any eligible credit facility guaranteed under this Scheme are transferred or assigned to any other borrower and if the conditions as to the eligibility of the borrower and the amount of the facility and any other terms and conditions, if any, subject to which the credit facility can be guaranteed under the Scheme are not satisfied after the said transfer or assignment, the guarantee in respect of the credit facility shall be deemed to be terminated as from the date of the said transfer or assignment.

(ii) If a borrower becomes ineligible for being granted any credit facilities under the Scheme, by reason of cessation of his activity or his activity or his undertaking ceasing to come within the definition of a MSE unit, the liability of the Trust in respect of any credit facilities granted to him by a lending institution under the Scheme shall be limited to the liability of the borrower to the lending institution as on the date on which the borrower becomes so ineligible, subject, however, to the limits on the liability of the Trust fixed under this Scheme. However, notwithstanding the death or retirement of a partner where the borrower is a partnership firm or the death of one of the joint borrowers, if the lending institution is entitled to continue the credit facilities to the surviving partner or partners or the surviving borrower or borrowers, as the case may be and if the credit facilities have not already become non performing asset, the guarantee in respect of such credit facilities shall not to be deemed to be terminated as provided in this paragraph.

15. Returns and Inspections

(i) The lending institution shall submit such statements and furnish such information as the Trust may require in connection with any credit facility under this Scheme.

(ii) The lending institution shall also furnish to the Trust all such documents, receipts, certificates and other writings as the latter may require and shall be deemed to have affirmed that the contents of such documents, receipts, certificates and other writings are true, provided that no claim shall be rejected and no liability shall attach to the lending institution or any officer thereof for anything done in good faith.

(iii) The Trust shall, insofar as it may be necessary for the purposes of the Scheme, have the right to inspect or call for copies of the books of account and other records (including any book of instructions or manual or circulars covering general instructions regarding conduct of advances) of the lending institution, and of any borrower from the



lending institution. Such inspection may be carried out either through the officers of the Trust or of SIDBI (except in case of Institutions other than SIDBI) or any other person appointed by the Trust for the purpose of inspection. Every officer or other employee of the lending institution or the borrower, who is in a position to do so, shall make available to the officers of the Trust or SIDBI or the person appointed for the inspection as the case may be, the books of account and other records and information which are in his possession.

16. Conditions imposed under the Scheme to be binding on the lending institution

(i) Any guarantee given by the Trust shall be governed by the provisions of the Scheme as if the same had been written in the documents evidencing such guarantee.

(ii) The lending institution shall as far as possible ensure that the conditions of any contract relating to an account guaranteed under the Scheme are not in conflict with the provisions of the Scheme but notwithstanding any provision in any other document or contract, the lending institution shall in relation to the Trust be bound by the conditions imposed under the Scheme.

17. Modifications and exemptions

(i) The Trust reserves to itself the right to modify, cancel or replace the scheme so, however, that the rights or obligations arising out of, or accruing under a guarantee issued under the Scheme up to the date on which such modification, cancellation or replacement comes into effect, shall not be affected.

(ii) Notwithstanding anything herein contained, the Trust shall have a right to alter the terms and conditions of the Scheme in regard to an account in respect of which guarantee has not been invoked as on the date of such alteration.

(iii) In the event of the Scheme being cancelled, no claim shall lie against the Trust in respect of facilities covered by the Scheme, unless the provisions contained in Clause (i) and (ii) of Section 10 of the Scheme are complied with by the lending institution prior to the date on which the cancellation comes into force.

18. Interpretation

If any question arises in regard to the interpretation of any of the provisions of the Scheme or of any directions or instructions or clarifications given in connection therewith, the decision of the Trust shall be final.

19. Supplementary and general provisions

In respect of any matter not specifically provided for in this Scheme, the Trust may make such supplementary or additional provisions or issue such instructions or clarifications as may be necessary for the purpose of the Scheme.

\*\*\*\*\*

## A. Member Lending Institutions-Eligibility, responsibility etc.

### 1. Which are considered as eligible lending institutions under the Scheme?

All Scheduled Commercial Banks (either PSU, Private or Foreign Banks), select Regional Rural Banks, or such of those institutions as may be directed by GOI can avail of guarantee cover in respect of their eligible credit facilities under the Scheme. Small Industries Development Bank of India (SIDBI), National Small Industries Corporation Ltd (NSIC) and North Eastern Development Finance Corporation Ltd (NEDFI) have been included as eligible institutions

### 2. Can a Private sector bank or a foreign bank be eligible for guarantee cover?

Yes, provided it is a commercial bank listed in the II Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934.

### 3. Is Regional Rural Bank eligible for guarantee cover?

Yes. But only those Regional Rural Banks, which have been classified by NABARD under the 'Sustainable Viable' category and currently viable category with positive networth. The Trust shall cover credit facilities (Fund based and/or Non fund based) extended by select RRB(s) to a single eligible borrower in the Micro and Small Enterprises sector for credit facility not exceeding Rs. 50 lakh by way of term loan and/or working capital facilities on or after entering into an agreement with the Trust, without any collateral security and/or third party guarantees.

### 4. Whether SFCs, Twin Function IDCs, Scheduled Co-operative Banks, Urban Co-operative Banks and NBFCs are eligible lending institutions for availing guarantee cover under the CGTMSE?

Select SFCs are being considered for inclusion as MLI, other institutions are not eligible to become a MLI.

### 5. When can the eligible lending institutions apply for guarantee cover in respect of eligible credit facilities under the Scheme?

The eligible lending institutions are required to enter into an 'one time' agreement with CGTMSE for becoming Member Lending Institutions (MLIs) of the Trust. MLIs can then apply for guarantee cover in respect of eligible credit facility sanctioned to any eligible borrower. The MLIs can apply for guarantee cover in respect of credit proposals sanctioned in the quarter April-June, July-September, October-December and January-March prior to expiry of the following quarter viz. July-September, October-December, January-March and April-June respectively.

### 6. Whether the Trust will re-appraise the proposals sanctioned by the MLIs for approving guarantee cover?

MLIs are expected to support only viable proposals using their commercial discretion and due diligence. CGTMSE will have full trust in their credit evaluation. The Trust will not re-evaluate the proposals sanctioned by MLIs. If the proposals satisfy the basic norms laid down under the CGS, the Trust will extend guarantee cover.

### 7. What is the facility provided to an MLI desiring to know about the details of accounts covered under guarantee cover by CGTMSE?

Our website [www.cgtmpse.in](http://www.cgtmpse.in) or [www.cgtsi.org.in](http://www.cgtsi.org.in) has 'Reports & MIS' module to enable the MLIs to generate standard reports. MLI can log on to the website-member page, using member-ID allotted and generate the reports desired by it viz. status of the application lodged, Demand for GF/ASF, monthly reports etc.

## B. Eligible Borrowers

Which type of borrowers can be covered under the Scheme?

New and existing Micro and Small Enterprises engaged in manufacturing or service activity excluding 'Retail Trade'.

2. Whether borrowers from all service sector enterprises are eligible under the Scheme?

As of now, all activities that come under service sector as per RBI's guidelines on 'Lending to Priority Sector' and MSMED Act, 2006 except retail trade are eligible for coverage under the scheme.

3. Whether loans given to Small Road Transport Operators are eligible for coverage under the Scheme?

Yes. Small road and water transport loans are eligible for guarantee cover.

4. Is it compulsory for the borrower to obtain Income Tax Permanent Account Number [IT-PAN] to be an eligible borrower?

Under the Guarantee Scheme, a borrower is required to obtain IT PAN number prior to availing of credit facility from the eligible lending institution. Also it is a mandatory requirement under section 139A(5) read with section 272(C) of the I.T Act 1961 to indicate IT PAN on all tax documents which include returns, challans, appeals, etc. However, in respect of loans up to Rs. 10 lakh, CGTMSE is presently not insisting that the IT PAN be obtained at the time of availing of the guarantee cover. IT Pan No. is to be indicated in respect of credit facility above Rs.10 lakh. Nevertheless, the MLIs have been advised to inform their borrowers to apply for IT PAN number. It is desirable to indicate IT Pan No. in all the application irrespective of the amount.

5. Is guarantee benefit available to existing units of a lending institution which has become a MLI of CGTMSE?

In case of existing units, additional credit facilities in the form of term loan or renewal of working capital facilities can be covered as and when the facilities are extended, provided no collateral security and/ or third party guarantee is obtained. Part of the credit facility with collateral and part of the facility without collateral for guarantee cover would not be entertained if it is considered as a composite credit.

6. Is it necessary that a borrower to be eligible should obtain all the required credit facilities from a single institution?

Credit facilities can be extended by more than one bank and/or financial institution jointly and/or separately to eligible borrower upto a maximum upto Rs.100 lakh per borrower subject to ceiling amount of individual MLI or such amount as may be specified by the Trust.

7.Co-financing to a MSE unit by Financial Institution with a Commercial Bank can be covered under the Scheme?

Yes, joint financing by a financial institution (e.g. SIDBI,NSIC, NEDFi) and Commercial bank can be covered under the scheme. For e.g. MSE unit is financed by term loan from State financial institution and Working capital from a commercial bank.

8. Whether credit facility extended to self-help group can be covered under the scheme?

No. At present, as per the Scheme, the credit facility extended to Self Help Group cannot be covered.

### C. Credit facilities & parameters

1. What is quantum of credit facility that can be covered under the Scheme?

Fund and non-fund based (Letters of Credit, Bank Guarantee etc.) credit facilities up to Rs.100 lakh per eligible borrower are covered under the guarantee scheme provided they are extended purely on the project viability without collateral security or third party guarantee.

2. Can a credit facility of over Rs. 100 lakh be covered under the Scheme?

Yes, provided that the entire credit facility is extended without any collateral security and it is otherwise eligible for a guarantee cover under the Scheme. The guarantee cover available will be restricted to credit of Rs. 100 lakh even though credit extended is more than Rs. 100 lakh to an eligible borrower. In other words, maximum of credit risk borne by CGTMSE is restricted to Rs.62.50 lakh being 75% or Rs 65 lakh being 80% as the case may be.

3. Up to what extent CGTMSE provide guarantee cover for the credit facility extended by MLIs to eligible borrower?

CGTMSE provides guarantee cover up to 75% of the amount in default subject to a maximum of Rs.62.50 lakh.

However the extent of guarantee cover is 85%, under following case:

- (a) Credit facilities up to Rs. 5 lakh extended to Micro Enterprises.

Also the extent of guarantee cover is 80%, subject to a maximum of Rs.65 lakh under following cases.

- (a) For micro and small enterprises operated and/ or owned by women irrespective of amount
- (b) Credit facilities to units in the North Eastern Region (including State of Sikkim) irrespective of amount.

4. What would be the guarantee / service fee that would be payable by the member-lending institution on credit facility sanctioned in excess of Rs. 100 lakh?

Presently, guarantee fee is payable @1.5% (0.75% in case of North Eastern Region including state of Sikkim) on the credit facility agreed to be covered by the Trust. In this case, maximum of Rs. 100 lakh would be extended guarantee cover even though the sanctioned amount exceeds Rs. 100 lakh. Similarly, the Annual service fee would be payable @0.75% on the guaranteed amount subject to a ceiling of Rs. 100 lakh.

5. Can term loan or working capital facility alone be extended by an eligible lender and still be covered under the guarantee scheme?

Yes, a lender can extend either term loan or working capital facility alone and still be eligible for a guarantee cover if it meets the other eligibility parameters. Needless to say, the credit facility extended to a borrower should be without any collateral security and/or third party guarantee.

6. Can a credit facility extended to a borrower against a collateral security be covered under the Guarantee Scheme, if the lending institution relinquishes its rights on the collateral security?

Yes, provided the lending institution relinquishes its rights on the collateral assets and releases the same in favour of the borrower before seeking guarantee cover and subject to fulfillment of the other norms of the Scheme.

Further, in case the MLIs has to retain the collateral security for the existing credit facility, a new credit facility extended to same borrower, with out taking collateral can be covered under the scheme provided, the MLI is not extending the charge on the existing collateral to new facility.

7. Is there any ceiling in respect of interest to be levied on the credit facility advanced to the borrower if the same is to be covered under the Scheme?

The lender has to follow the guidelines issued by RBI regarding charging of interest on the credit. However, the rate of interest shall not exceed 3% over and above Prime Lending Rate (PLR) of the lender. This is exclusive of the fee payable to the Trust.

8. Is it possible to cover credit facilities, which have already become NPA?

No, the credit facility that has already become NPA cannot be covered under the Scheme.

covered.

D. Primary Security vis-a-vis Collateral security/personal vis-à-vis third party guarantee

1. What is the difference between primary security and collateral security?

Primary security is the asset created out of the credit facility extended to the borrower and / or which are directly associated with the business / project of the borrower for which the credit facility has been extended. Collateral security is any other security offered for the said credit facility. For example, hypothecation of jewellery, mortgage of house, etc.

2. Under the Scheme, any third party guarantee obtained for the credit facilities will make them ineligible for guarantee cover. What is third party guarantee?

As per the extent guidelines no third party guarantee should be obtained if the account is to be covered under the Credit Guarantee Scheme. However, in case the constitution of the borrower is proprietary or partnership, the personal guarantee of proprietor/ partner is not treated as third party guarantee. Personal guarantee of directors, were borrower constitution is a company would be treated as third party guarantee.

E. Guarantee fee / Service fee

1. Whether the incidence of guarantee fee and annual service fee be passed on by the lender to the borrower?

The discretion is left to the MLI. However in terms of the "Policy Package for stepping up credit to Small and Medium Enterprises" as announced by the Hon'ble Finance Minister, Government of India, in the Parliament on August 10, 2005, Public Sector Banks are encouraged to absorb the Annual Service Fee in excess of 0.25% p.a. for all the borrowers mentioned in category (a), (b) and (c) below.

(a) All loans upto Rs. 2.00 lakh;

(b) All eligible women Entrepreneurs;

(c) All eligible borrowers located in the North Eastern Region (including State of Sikkim) and Jammu & Kashmir.

2. Whether the rates of guarantee fee and annual service fee can be varied after the commencement of guarantee cover?

Guarantee fee will not be changed with retrospective effect. Since the guarantee fee is payable only once at the time of seeking guarantee cover, so any change in rate will have only

prospective effect on the future proposals to be covered under the Scheme. As regards Annual Service Fee, it is payable on the guaranteed credit facilities as on March 31, the prevailing rate at that time will apply.

3. Is service fee payable even after lodgment of claim?

Yes, Annual Service Fee is required to be paid after lodgment of claim till settlement of first installment of 75% of the guaranteed amount. However, no claim can be lodged before the expiry of the initial lock-in period (ie.18 months from the date of the guarantee cover or the date of last disbursement, whichever is later) and after expiry of tenure of guarantee cover.

4. What would be the guarantee / service fee that would be payable by the member-lending institution on credit facility sanctioned in excess of Rs. 100 lakh?

The guarantee fee payable would be on the loan amount sanctioned, subject to a maximum of Rs. 100 Lakh. In this case, Rs.100 lakh would be extended guarantee cover even though the sanctioned amount exceeds Rs. 100 lakh. Similarly, the annual service fee would be payable on the sanctioned amount subject to a ceiling of Rs. 100 Lakh.

5. How is the service fee payable for the first year?

In the first year of coverage of each guaranteed unit, the Annual Service Fee is worked out on pro-rata basis i.e. at the applicable rate of fee charged for the period (no. of days) of outstanding, starting from the date of commencement of the guarantee cover till March 31. For calculation of Annual Service Fee, number of days in a year is taken as 365. For subsequent years, service fee is charged for the whole year, on the credit facility guaranteed except for terminal year or closed cases where it is on pro rata basis.

6. In a hypothetical case, if a lender gives working capital limit of Rs.10 lakh in the first year, seeks guarantee cover, and enhances the limit in the second year to Rs.15 lakh, what would be the treatment for payment of guarantee fee and guarantee cover?

One time guarantee fee is payable on the limit sanctioned / and on the subsequent incremental enhancements. Therefore, in the first year the guarantee fee shall be paid by the lender as per applicable rate on the limit of Rs.10 lakh sanctioned. On any further enhancement, guarantee fee is payable on the incremental enhancement i.e. in the hypothetical case, on Rs.5 lakh for the balance period of 5 years. As regards guarantee cover is concerned, guarantee will be available for a block of 5 years where working capital alone is given.

F. Credit guarantee - extent of cover, invocation, claim etc.

1. What is the guarantee cap available to the lender per eligible borrower?

Category	Maximum extent of Guarantee where credit facility is		
	Upto Rs.5 lakh	Above Rs.5 lakh upto Rs.50 lakh	Above Rs.50 lakh upto Rs.100 lakh
Micro Enterprises	85% of the amount in default subject to a maximum of Rs.4.25 lakh	75% of the amount in default subject to a maximum of Rs.37.50 lakh	Rs.37.50 lakh plus 50% of amount in default above Rs.50 lakh subject to overall ceiling of Rs.62.50 lakh

Women entrepreneurs/ Units located in North East Region (incl. Sikkim) (other than credit facility upto Rs.5 lakh to micro enterprises)	80% of the amount in default subject to a maximum of Rs.40 lakh	Rs.40 lakh plus 50% of amount in default above Rs.50 lakh subject to overall ceiling of Rs.65 lakh
All other category of borrowers	75% of the amount in default subject to a maximum of Rs.37.50 lakh	Rs.37.50 lakh plus 50% of amount in default above Rs.50 lakh subject to overall ceiling of Rs.62.50 lakh

2. When should the lender apply for the guarantee cover?

The eligible lending institution can apply for guarantee cover in respect of credit proposals sanctioned in the quarter April-June, July-September, October-December and January-March prior to expiry of the following quarter viz. July-September, October-December, January-March and April-June respectively.

3. When will the guarantee cover commence for the eligible credit facility?

The guarantee cover will commence from the date on which guarantee fee proceeds are credited to bank account of the Trust.

4. How long the guarantee cover is available for credit facilities extended to a particular borrower?

Guarantee will commence from the date of payment of guarantee fee and shall run through the agreed tenure of the term loan / composite loans. Where working capital facilities alone are extended to eligible borrowers, it would be for a period of 5 years or block of 5 years on renewal of the guarantee cover, provided MLI pays the Annual Service Fee as on March 31, latest by May 31 every year.

5. Whether the interest on term loan and other charges can also be guaranteed by the Trust?

In case of default by the borrower subject to overall guarantee cap amount, the liability of the Trust in respect of credit facility shall be as follows: -

i. Term Loan

Defaulted amount (inclusive of interest up to date of NPA)

ii. Working capital facility

Outstanding working capital advance (inclusive of interest up to date of NPA)

Other charges such as penal interest, commitment charge, service charge or any other levies / expenses shall not qualify for the guarantee cover.

6. Whether the credit facility for rehabilitation / nursing of the sick unit can also be eligible for guarantee under the Scheme?

The eligible borrower unit which has been covered under the Scheme and subsequently becomes sick due to factors beyond the control of the management, the assistance / credit for rehabilitation extended by the lender could also be covered under the Scheme provided the overall assistance is within the credit cap of Rs.100 lakh, for such extended period of guarantee and on such terms as may be decided by the Trust.

7. What is the tenure of the cover for credit relating to working capital?

The tenure for coverage of working capital facilities is 5 years, where working capital alone is covered under the scheme. In case term credit and working capital both are covered under the scheme, the tenure relating to working capital facility would match the normal repayment period of term credit. The reason for keeping a limit of 5 years wherever working capital alone are covered are that the period for which the same are extended by the lending institutions are not time bound. The same are reviewed periodically for increase/ decrease in the limit sanctioned, and are expected to continue for a time frame much longer than 5 years. CGTMSE welcomes any renewal of guarantee cover beyond 5 years on a payment of applicable guarantee fee.

8. Whether the guarantee will continue to be available in respect of a particular borrower unit if there is change in management of that borrower during the period the guarantee is in force?

If the new promoters / management meets / satisfy the norms of the eligible borrower viz. maximum credit availed and outstanding, MSE status etc., and continues to perform the existing activities of borrower or undertakes the new activities which otherwise are eligible under the Scheme for guarantee then the lender can continue such borrower with existing liabilities under the scheme of guarantee. However, if the new promoter / management do not satisfy any of the norms of the Scheme, the guarantee in respect of the credit facility shall be deemed to be terminated from the date of said transfer or assignment.

9. Under what circumstances the guarantee cover obtained by the lender in respect of particular borrower will lapse?

The guarantee cover given by the Trust to the lender in respect of credit facility to a particular borrower will lapse if

- i. It is subsequently brought to the knowledge of the Trust that the lender has obtained collateral / third party guarantee from the borrower while sanctioning the particular credit facility which has been covered under the guarantee,
- ii. It is subsequently gathered that the lender has advanced second / subsequent credit facility to the borrower with collateral / third party guarantee and extended the scope of collateral / third party guarantee to the existing credit facility for which guarantee cover has been obtained from the Trust,
- iii. Annual service charge is not paid to the Trust by the specified period or such extended time limit as may be granted by the Trust,
- iv. The tenure of guarantee cover has expired

10. When can the lender invoke the guarantee given by the Trust in respect of credit facility advanced by it to the eligible borrower?

The lender shall prefer a claim on the defaulted account on recall of loan and initiation of recovery proceedings under due process of Law. The lender can, however, invoke the guarantee given by the Trust only after the lock-in period of 18 months either from the date of last disbursement of



credit to the borrower or from the date of the guarantee cover coming into force in respect of the particular credit facility, whichever is later.

11. How the claim of lender will be settled by the Trust in respect of defaulting account?

After satisfying itself about the procedural aspects met by the lender, regarding lodgment / preferment of claim for guarantee, the Trust will honour 75% of the guaranteed portion of the amount in default, subject to maximum of 75% / 80% of the amount in default. The balance 25% shall be paid on conclusion of the recovery proceedings.

12. Whether guarantee cover is available to the second term loan sanctioned after 2/3 years of the first term loan? Whether the cash credit will continue to be covered under the scheme up to repayment of the 2nd term loan?

Guarantee cover is available for the second term loan provided the aggregate credit does not exceed Rs. 100 lakh. Where working capital is sanctioned along with the term loan facility, the tenure of such working capital facility shall be co-terminus with that of term loan facility and shall run concurrently with the scheduled repayment period of the term loan facility. Subsequent to the repayment of the term loan along with which working capital was sanctioned, the guarantee cover in respect of working capital can be got renewed by paying applicable guarantee fee on the sanctioned working capital facility or the renewal of working capital may also be clubbed with the second term loan facility so that both are sanctioned together, thus getting guarantee cover for both the facilities for a period equal to the repayment period of second term loan, on payment of guarantee fee on the sanctioned (term loan + working capital) account.

13. Whether the responsibility to recover the defaulted credit is taken over by the Trust after the settlement of claim (issuance of 1<sup>st</sup> Installment of claim) in respect of particular borrower account?

No, the lender continues to remain responsible to take all efforts in recovery of credit advanced to the borrower who had defaulted, even after the initial settlement of the claim by the Trust.

14. Where the credit facilities are covered under ECGC, is it possible to avail guarantee cover to the extent not covered by ECGC under Credit Guarantee Scheme?

Any credit facility in respect of which risks are additionally covered by Government or by any general insurer or any other person or association of persons carrying on the business of insurance, guarantee or indemnity, to the extent they are so covered is not eligible for credit guarantee cover of the Trust.

15. Issue of notice under Lok adalat is sufficient for invoking the guarantee and getting the first installment?

Yes, for the purpose of the scheme, issue of notice under Lok Adalat is sufficient to prove the legal proceedings have initiated.

16. Issuing notices to the defaulted units under SARFAESI Act 2002 is sufficient for invoking guarantee under the scheme?

No, mere issuance of recall notice under SARFAESI Act cannot be construed as initiation of legal proceedings for purpose of preferment of claim under CGS. Lending institution should take further action as contained in Section 13 (4) of the above Act.

17. What is the familiar ground upon which claims from MLIs are rejected by the trust?

- Legal proceedings not initiated, or just a notice under the SARFAESI act issued but charge on primary security is not taken.

- Guarantee cover was not in force. i.e. servicing fee was not paid for one particular period.
- Account was doubtful of repayment when the cover was taken and it was obvious from the conduct of the account that it will turn NPA subsequently. i.e applied for guarantee cover when the asset became stressed.
- Claim application submitted before completion of the lock in period.

#### G. Legal proceedings, OTS etc.

##### 1. What is meant by conclusion of recovery proceedings?

The recovery proceedings would be stated as concluded after the decree has been enforced and recovery has been completed by the MLI.

##### 2. Can a lending institution go for one time settlement (OTS) in respect of defaulted cases, which are covered under the Scheme?

Yes. The lending institution is, however, required to keep the Trust informed.

##### 3. Who will bear the legal expenses of recovery, MLIs or borrower or CGTMSE?

Initially the legal expenses will be borne by the MLI. At the time of remittance of recovery proceeds to CGTMSE by the MLI, same may be deducted.

#### H. General

##### 1. What are the cardinal principles of the Credit Guarantee Scheme?

The cardinal principles of the Scheme are as follows:

- Only Micro and Small Enterprises engaged in manufacturing activities and those in service sector excluding retail trade are eligible to be covered under the Scheme.
- All the credit facility(ies) extended jointly by two or more banks to single borrower or credit facility(ies) extended jointly by two or more institutions to a single borrower, shall not be eligible for guarantee cover except otherwise approved by the Trust. In respect of the credit facility extended jointly by SIDBI and a bank, out of the MSE Fund for NER (North East Region), created by SIDBI subject to conditions.
- The entire credit facility has to be given without collateral and/or third party guarantee. Loans may be secured against the primary security which has been defined under the Scheme to include assets created out of the credit facility extended to the borrowers and / or which are directly associated with the business/project of the borrower for which the credit facility has been extended. In those cases where MLIs have already obtained collateral security from the borrowing units to secure existing credit facilities, the collateral security needs to be released before covering under the Scheme any additional credit facility sanctioned to the same borrowing unit.
- The rate of interest charged to the unit should not exceed 3% above the Prime Lending Rate (PLR) of the lending institution.
- The dues of the borrowing unit to the lending institution should not have become bad or doubtful of recovery as on date of issue of guarantee cover.

vi. MLI should obtain the cover for credit facility sanctioned in one quarter before the expiry of next quarter.

2. How is this guarantee scheme operated by the Trust?

The operations of this Scheme are fully computerized using B2B e-business concept to enable the Trust to deliver prompt service to the lenders.

3. What information is required to be submitted to the Trust before starting operations under the Scheme?

Before starting implementation of the Scheme, MLIs are required to give the names and addresses of the Zonal / Regional / Branch offices through which they would like to operate the Scheme. They are also required to furnish the names of a nodal officer and two other officers who will be operating the Scheme at each of the operating offices. On receipt of this information, Member ID and Passwords would be allotted by the Trust, after which it would be possible for MLIs to lodge applications for guarantee cover. Applications are required to be lodged online.

4. Can the Micro and small entrepreneurs / borrowers approach the Trust directly to seek guarantee for the credits sanctioned by the Banks?

CGTMSE gives guarantee to its MLIs. Therefore, entrepreneurs in the Micro and small enterprises sector have to approach the Banks or financial institutions (who have already registered with the Trust as MLIs) with their viable proposals for their credit requirements. The List of MLIs of the Trust can be seen at CGTMSE's web-site at <http://www.cgtmse.in> or [www.cgtsi.org.in](http://www.cgtsi.org.in)

5. Can a Bank / Institution seek single guarantee cover or lump sum guarantee cover for all the loans outstanding in respect of all the eligible MSE borrowers?

No, Single guarantee cover or enblock guarantee cover for all outstanding loans is not permissible. Under the Scheme applications are required to be filed by the MLIs, individually, in respect of each of the borrower. The Scheme provides for coverage of only new loans / renewed working capital limits sanctioned to manufacturing units in the micro & small enterprises in service sector excluding retail trade. The new credits sanctioned by MLIs in a quarter have to be covered under Guarantee Scheme as early as possible, in any case, not beyond the subsequent quarter. The applications are to be submitted by the identified branches, which have been allotted member Id, passwords by CGTMSE, using the member id in CGTMSE website (<http://www.cgtmse.in> or [www.cgtsi.org.in](http://www.cgtsi.org.in)).

6. Will payment of Guarantee Fee on the whole outstanding MSE portfolio of the MLI, with loans up to Rs 100 lakh, is acceptable to CGTMSE?

No, Under the Scheme applications are required to be filed by the Operating Offices of MLIs, individually, for each of the borrower for credit facilities extended.

7. Does CGTMSE have branch offices in other cities in India?

CGTMSE has its Registered Office at Mumbai and Business Development Cells in New Delhi and Kolkata. Since the entire operations are online, CGTMSE is able to cater to the needs of its MLIs from Mumbai.

## I Frequently Asked IT / System related Questions.

(For MLI's only).

### 1. The system showing Invalid password message:

Kindly take adequate care while choosing password. The password is case sensitive and should not contain spaces in between. Special characters (e.g. @ # \$ % ^) are allowed. In case you forget your password, you may send a fax message to 022-26541821 requesting us to reset the password mentioning MLI ID, Zone name and username.

### 2. System gives "Is not a valid date" message:

The date is to be entered in DD/MM/YYYY format. For e.g. 31st December 2007 is to be entered as 31/12/2007. Or else, you may click on the icon available to the right of the date field and select the date.

### 3. Allocation of DANs is not saved:

The procedure for allocation of DAN is detailed below.

Login to the website of CGTMSE

1. Go to receipt and payment
2. Select allocate payment from dropdown menu
3. Select GF/ASF from the right dropdown menu
4. DANs for GF or ASF as the case may be visible.
5. Allocate the payment by checking the Pay box. Click on the save button. Alternatively, if more than one CGPAN is available in a DAN and you want to allocate for a few CGPANs only,
  1. Click on the respective DAN.
  2. A screen with all the CGPANs in that DAN will appear.
  3. You can allocate payment for the CGPAN by checking the PAY check box and click on SAVE
  4. Then previous screen containing all the DANs will appear.
  5. The PAY check box of the respective DAN for which you had allocated will be disabled.
  6. Click on SAVE to save your allocations and the payment screen will appear.

Please note that only 50 units can be allocated in a lot and it is suggested that only one DD may be used for allocating a lot. In case DDs/ instruments are being received from different branches, DD wise allocation may be done.

### 4. Account expired before tenure of the loan:

The account will be marked as expired in the following cases -

In case of Term Loan = Sanction date + tenure

Working Capital = Guarantee Start Date + tenure

Composite Loan (both T.L and W.C together) = Sanction date + tenure

### 5. Two CGPANs are allocated for the same working capital account:

This generally happens in two cases

1. Application is lodged twice.
2. Instead of enhancing the guarantee amount, a fresh application is lodged.

Points to remember:

- Credit to be Guarantee amount is to be entered in Rupees (not in lakhs of Rupees).

- Tenure of the loan is to be entered in Months (not in Years/ Quarters).
- Tenure of the loan includes moratorium.
- Type of activity is to be clearly mentioned.
- Only one RP No. should be generated for one Instrument.
- Please mention complete address for correspondence, with telephone No/Fax No/e-mail ID.
- Please send instruments after allocation along with ASF/GF allocated reports. Same report is available at Reports and MIS - RP Related Reports - ASF/GF allocated report.
- All the payments are to be routed through Zonal/Regional offices of the concerned MLIs only.
- Separate instruments are to be sent for Annual Service Fee & Guarantee Fee.
- Please mention correct CGPAN number and unit name in all correspondence.
- For enhancement of working capital, MLIs are requested to go to Application Processing - Guarantee for - Enhancement in WC.  
Kindly note, the enhancement of Working Capital should not be entered as a fresh application. In case of enhancement of WC, no new application reference number/CGPAN is generated.
- For accounts having guarantee start date during a particular FY ASF will be generated at the end of that FY.
- ASF is to be paid till the date of intimation of Account closure to CGTMSE/ expiry of account/ settlement of first installment of claim.
- ASF is demanded after the completion of FY.
- Details of DANs are available at Reports and MIS - DAN related reports - DAN report ALL/ASF/GF.
- Allocation of payments can be done at Receipts & Payments - Allocate Payments - For Guarantee Fee/ASF/Expired Cases.
- GF to be appropriated in the system and R.P no is to be indicated in the forwarding letter.
- Reports in respect of Guarantee Approvals ( MLI wise / State wise/ District wise/sector wise) can be generated through system in the Reports & MIS module.
- For any other technical help/queries regarding CGTMSE intranet please contact :[support@cgtmse.in](mailto:support@cgtmse.in)